<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. संख्या 6/13/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार, वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 19.04.2024

अधिसूचना

प्रारंभिक जांच परिणाम

मामला संख्या : एडीडी (ओआई) 13/2023

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच ।

फा.संख्या 6/13/2023-डीजीटीआर : समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "एडी नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. "टेलिस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर" (इसके बाद इसे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में भी कहा गया है) के अनेक भारतीय निर्माताओं की ओर से हाईहोप फ़र्निचर फिटिंग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद इसे "हाईहोप" के रूप में कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे "प्राधिकारी" के रूप में कहा गया है) के समक्ष यह कहते हुए प्रतिवेदन दाखिल किया कि चीन के उत्पादक

सामान्य मूल्य से काफी कम कीमत पर उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद का पाटन हो रहा है और भारतीय एम एस एम ई उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।

2. प्राधिकारी ने हाईहोप और उसके निर्माता सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना का संज्ञान लिया और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के तहत नीचे उल्लिखित किए गए नियम 5(4) के तहत सीमा शुल्क प्राधिकारी (डी जी सी आई एंड एस के माध्यम से) से आयात डेटा एकत्रित किया :-

"*(4) उप नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वत: जांच की शुरूआत कर सकते हैं, यदि वे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत नियुक्त सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो, या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना से संतुष्ट हों कि उप नियम (3) के खंड (ख) में उल्लिखित परिस्थितियों की मौजूदगी के पर्याप्त साक्ष्य हैं।*"

3. प्राधिकारी ने मात्रा और मूल्य, दोनों के संदर्भ में देश में उत्पाद के आयातों की प्रवृति का विश्लेषण किया । विभिन्न अभ्यावेदनों में निहित सूचना के साथ इसकी पुष्टि की तथा यह पता लगाया कि क्या इस बात के पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य मौजूद हैं कि चीन से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य के अनुमान से कम मूल्य पर किया जा रहा है, क्या इसके कारण भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है और क्या कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का पता लगाने के लिए पाटनरोधी जांच किए जाने की जरूरत है । प्राधिकारी ने उद्योग की प्रकृति, पाटन की मात्रा, आयातों की मात्रा की प्रवृति, चीन से आयात मूल्य, प्रमुखी कच्ची सामग्रियों (स्टेनलेस स्टील/ माइल्ड स्टील) के प्रचलित मूल्यों तथा विभिन्न अभ्यावेदनों में निहित सूचना के आधार पर भारतीय उद्योग पर इसके संभावित प्रभाव के संबंध में सूचना पर भी विचार किया है । प्राधिकारी ने सीमा शुल्क प्राधिकारियों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में सूचना की मांग की और उसे स्वीकार किया । प्राधिकारी ने यह पाया कि जांच शुरू किए जाने को सही ठहराने के लिए पाटन, क्षति और ऐसे पाटित किए गए आयातों तथा कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त साक्ष्य थे ।

4. प्राधिकारी ने पाटन, क्षति और इस प्रकार से पाटित किए गए आयातों तथा कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने के बारे में पर्याप्त साक्ष्य की मौजूदगी होने के बारे में स्वयं को संतुष्ट करते हुए जांच शुरू किए जाने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए, चीन जन. गण. (इसके बाद इसे "संबद्ध देश" के रूप में कहा गया है) से "टेलिस्कोपिक चैनल ड्रॉवर स्लाइडर" के आयातों के संबंध में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई दिनांक 20 सितंबर, 2023 की अधिसूचना सं. 6/13/2023-डीजीटीआर के तहत संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए स्वत: पाटनरोधी जांच शुरू की, जिसे यदि लगाया जाता है, तो यह घरेलू उद्योग की कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी ।

ख. प्रक्रिया

5. जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाया गया है :-

i) वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात और जांच की अवधि का लेन देन-वार विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया कर लिया गया था । प्राधिकारी ने लेन देन किए जाने की उचित जांच करने के बाद आयात की मात्रा की गणना और उसके विश्लेषण के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है ।

ii) प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में स्वत: एक जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 20 सितंबर, 2023 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की ।

iii) प्राधिकारी ने वर्तमान जांच शुरू होने की सूचना कर अनुसंधान इकाई (जिसे "टीआरयू" भी कहा गया है) को भेजी ।

iv) प्राधिकारी ने नियम 6(3) के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अभ्यावेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की । अभ्यावेदन के अगोपनीय

पाठ की एक प्रति मांग किए जाने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी ।

v) भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश में उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने का परामर्श दें ।

vi) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों/ उपयोगकर्ताओं, जिन्होंने वर्तमान जांच में स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत किया है, को अभ्यावेदन के अगोपनीय पाठ के साथ साथ जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी है । हाईहोप द्वारा अपने अभ्यावेदन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार घरेलू उत्पादकों के साथ और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अनुरोध किया गया था ।

vii) प्राधिकारी ने संबद्ध देश में उत्पादकों/ निर्यातकों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति प्रेषित की और नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार उन्हें अपने अनुरोध करने का एक अवसर प्रदान किया ।

viii) जांच शुरूआत अधिसूचना के उलट में, चीन जन. गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने अपने संबंधित कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके उत्तर दिया :

i. गुआंगडोंग डोंगटाई हार्डवेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
ii. फोशान शुंडे डाओके टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
iii. डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन (हांगकांग) लिमिटेड
iv. फोशान शुंडे हेकियान प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
v. गुआंग्डोंग ओउला हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
vi. जियांग सिटी किकी हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
vii. शान्ताउ रोंगटाई हार्डवेयर प्लास्टिक फैक्ट्री
viii. जियांग मिंगबो हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
ix. गुआंगज़ौ रोंगटाई हार्डवेयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड।
x. गुआंग्डोंग हांगली हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड
xi. डोंगगुआन लिटोंग प्रिसिजन स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

xii. झोंगशान हाइबाओ प्रिसिजन हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड
xiii. गुआंग्डोंग टैमिंग मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
xiv. टैमिंग एडवांस्ड प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
xv. जियांग झेंगबियाओ हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड
xvi. फॉर्च्यून प्लस टेक्नोलॉजी (गुआंगज़ौ) लिमिटेड
xvii. गुआंग्डोंग जिनो हार्डवेयर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
xviii. गुआंगज़ौ जिनो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड।
xix. जियांग झोंगक्सिंग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड
xx. लवहोम हार्डवेयर (गुआंगज़ौ) कंपनी लिमिटेड
xxi. डोंगगुआन टॉपमिन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
xxii. हफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड
xxiii. फोशान फ्यूसायर मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड।
xxiv. झाओकिंग सिटी गाओयाओ डिस्ट्रिक्ट कांगक्सुन प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
xxv. झाओकिंग सिटी गाओयाओ जिला चुआंग्यीयुआन मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
xxvi. गुआंग्डोंग ज़िंगपेंग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
xxvii. इटरनल मार्क प्राइवेट लिमिटेड
xxviii. इटरनल मार्क सिंगापुर पीटीई लिमिटेड

6. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों/ उपयोगकर्ताओं को प्रश्नावली भेजकर नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग की ।

7. जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/ उपयोगकर्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके उत्तर दिया :

क. एब्को प्राइवेट लिमिटेड
ख. हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ग. गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड
घ. एशियन पेंट्स द्वारा स्लीक किचन
ड. स्लीक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

8. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की है । वर्तमान जांच के लिए क्षति की अवधि वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि है ।

9. प्राधिकारी ने दिनांक 20 सितंबर 2023 की जांच शुरूआत अधिसूचना के पैरा 8 के तहत विचाराधीन उत्पाद (अथवा पीयूसी) के दायरे पर, जांच शुरू होने के 15 दिनों के भीतर टिप्पिणयों की मांग की । हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 तक विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन (उत्पाद नियंत्रण संख्या) पद्धति पर टिप्पणियां दर्ज करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था । सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 को पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें प्राधिकारी ने सभी हितधारकों को 10 अक्टूबर, 2023 तक अपने अनुरोधों का आदान-प्रदान करने का निर्देश दिया । प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करने के बाद, 30 नवंबर, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद के संशोधित दायरे और पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया, जिसका हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने के लिए अनुसरण किया जाना चाहिए । सभी हितबद्ध पक्षकारों को 14 दिसंबर, 2023 तक पीसीएन पद्धति के अनुसार, प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने का निदेश दिया गया था । कुछ हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, समय-सीमा को दिनांक 28 दिसंबर, 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

10. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात उत्पादकों से उत्पादन विवरण की मांग की । एसेसिएशन ने संपूर्ण क्षति अवधि के लिए भारतीय उत्पादकों के लिए उत्पादन के ब्यौरे के साथ भारतीय उत्पादन का विवरण उपलब्ध कराया । प्राप्त सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) के निर्धारण के उद्देश्य से लागत से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित भारतीय उत्पादकों का सैम्पल लिया :

क. जेनिल टेक्नो इंडस्ट्रीज
ख. कियारा स्लाइड्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
ग. स्लाइड टेक इंडस्ट्रीज
घ. सुकेतु एंटरप्राइज
ड. विनायक इंटरनेशनल

11. उपरोक्त घरेलू उत्पादकों को क्षति मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना सं. 09/2021 के तहत निर्धारित प्रारूपों के अनुसार लागत संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए निदेश दिया गया था । लागत संबंधी सूचना प्राप्त होने पर, यह नोट किया गया था कि सैम्पल उत्पादक केवल माइल्ड स्टील (एमएस) का उपयोग करके विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर रहे थे और इसलिए प्राप्त सूचना में सभी प्रकार की कच्ची सामग्रियां शामिल नहीं थीं । अत: सैम्पल उत्पादकों का दायरा बढ़ाया गया था ताकि बटरफ्लाई ड्रॉअर स्लाइड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी को भी शामिल किया जा सके क्योंकि एक भारतीय उत्पादक कंपनी स्टेनलेस स्टील का उपयोग करके उत्पाद का उत्पादन कर रही है ।

12. प्राधिकारी ने आवश्यकता के अनुसार सैम्पल उत्पादकों से आगे सूचना की मांग की । घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों की, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यकता के अनुसार पुष्टि की गई थी । प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में अपने विश्लेषण में घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है ।

13. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे जांच दल के साथ-साथ सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को ई-मेल करें।

14. सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर सैम्पल घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं को बनाने और बिक्री करने की लागत और उत्पादन की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्यों पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा ।

15. इस प्रारंभिक जांच परिणाम में "***" गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना को दर्शाता है तथा नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है ।

16. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 81.06 रुपए है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

17. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है :-

i) जांच शुरूआत अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद को एच एस कोड 8302 4110, 8302 4190, 8302 4200, और 8302 4900 के तहत वर्गीकृत किया गया है । उत्पाद को एच एस कोड 83024110 और 83024190 के तहत वर्गीकृत नहीं किया गया है क्योंकि इन उप शीर्षों में "भवनों के लिए उपयुक्त" और "दरवाजे तथा खिड़कियों" की फिटिंग शामिल है । तथापि, विचाराधीन उत्पाद भवनों, दरवाजों अथवा खिड़कियों के लिए प्रयोग नहीं होता है।

ii) विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :-

क) नाइलॉन सिलेंडरिकल रोलर के साथ ड्रॉअर रनर . 14 घरेलू उत्पादकों, जिन्होंने अभ्यावेदन दायर किए थे, के पास अपनी उत्पाद सूची/ वेबसाइट में सूचीबद्ध नाइलॉन सिलेंडरिकल रोलर के साथ ड्रॉअर रनर नहीं है । यदि उन्होंने इस प्रणाली के लिए पुर्जे आयात किए हैं तो उन्हें प्रणाली के लिए उत्पादक नहीं माना जा सकता ।

ख) इकोनो बॉक्स : इकोनो बॉक्स, जिनके पास ऐसे साइड दरवाजों के साथ एक सामान्य रनर है, जिनके साथ बाल बेयरिंग नहीं है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है ।

ग) लीविंग और बेडरूम फिटिंग : लीविंग और बेडरूम फिटिंग, जैसे ट्राउजर पुल आउट, स्लाइट माउंटेड टाई रेक आदि के पास बाल बेयरिंग रनर के रूप में एक घटक है, लेकिन इसमें कई अन्य पुर्जे/ घटक निहित हैं तथा उत्पाद अपनी समग्रता में चैनल ड्रॉअर से भिन्न है और इसलिए इसके साथ समानता नहीं की जा सकती ।

iii) कतिपय ऐसे टाइप के उत्पाद हैं, जिनका भारत में निर्माताओं द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता । अत: निम्नलिखित को बाहर किए जाने की अपेक्षा है :-

क. अंडर माउंट स्लाइड, जो दराजों (ड्रॉअर) के नीचे स्थापित की जाती है ।

ख. ब्लैक जिंक प्लेटेड उत्पाद

ग. साफ्ट क्लोज स्लाइड, जिससे दराज की सॉफ्ट क्लोजिंग होती है ।

घ. 201 स्टेनलेस स्टील और 304 स्टेनलेस स्टील सामग्रियों से बने स्लाइड उत्पाद।

ड. हेवी ड्यूटी बॉल बेयरिंग स्लाइड

च. 17 मि.मि., 27 मि.मि., 30 मि.मि., 35 मि.मि., 36 मि.मि., 40 मि.मि., 42 मि.मि., 53 मि.मि. चौड़ाई की स्लाइड ।

छ. 3 - बॉल, 4 - बॉल, 5 - बॉल, 6 - बॉल कॉफिंगरेशन वाले उत्पाद ।

ज. 50 किलोग्राम से अधिक भार क्षमता वाले उत्पाद ।

lv) पुश ओपन स्लाइड, स्टील ड्रॉअर स्लाइड और कंप्यूटर की बोर्ड बाल बेयरिंग स्लाइड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं ।

v) प्राधिकारी पीसीएन के लिए मापदंड के रूप में क्लोजिंग टाइप अर्थात सॉफ्ट क्लोज अथवा हाई क्लोज तथा कच्ची सामग्री के टाइप का निर्धारण करेंगे ।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

18. उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में घरेलू निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर" है । संबद्ध संबद्ध वस्तु का कोई समर्पित कोड नहीं है और इसे कई एच एस कोड में आयात किया जा रहा है । प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना में सही उल्लेख किया है कि उत्पाद को अध्याय 83 के तहत कई उप शीर्षों के तहत आयात किया जा रहा है, जिसमें उप शीर्ष 83024110, 83024190, 83024200 और 83024900 शामिल हैं ।

ii. किसी भी उत्पाद टाइप को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किए जाने की आवश्यकता नहीं है । विचाराधीन उत्पाद विभिन्न विशिष्ट अंतिम अनुप्रयोगों की पूर्ति करने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न आकृतियों, डिजाइनों, आकारों में उत्पादित किया जाता है । चूंकि उपयोग की जाने वाली इकाई भार है, अत: विभिन्न प्रकारों में अंतर करना और पहचानना मुश्किल है ।

iii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित उत्पाद बहिष्करण विभिन्न उत्पाद प्रकारों के लिए नहीं है, बल्कि केवल संबद्ध वस्तुओं के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न नामकरण हैं । सभी विवरण विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं ।

iv. विचाराधीन उत्पाद का वर्णन करने के लिए विभिन्न नामकरणों की एक उदाहरणात्मक सूची इस प्रकार है: -

i. टेलीस्कोपिक चैनल
ii. ड्रॉअर स्लाइड
iii. बॉल बेयरिंग टेलीस्कोपिक स्लाइड
iv. बॉल बेयरिंग टेलीस्कोपिक चैनल
v. किचन ड्रॉअर स्लाइड
vi. वार्डरोब ड्रॉअर चैनल
vii. ड्रॉअर रनर
viii. बॉल बेयरिंग ड्रॉवर रनर
ix. साइड माउंटिंग ड्रॉअर स्लाइड
x. साइड माउंटिंग ड्रॉअर चैनल
xi. बेड ट्रॉली रनर
xii. पुल आउट चैनल
xiii. सिंगल एक्सटेंशन चैनल
xiv. साइड ट्रैक ड्रॉअर चैनल, आदि।

v. नायलॉन सिलेंडरीकल रोलर, इकोनो बॉक्स आदि के साथ मोशन टेक्नोलॉजी के ड्रॉअर रनर सिस्टम के तुलनीय उत्पाद कई भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं और विभिन्न नामकरण का उपयोग करके बेचे जाते हैं । नायलॉन सिलेन्ड्रीकल रोलर केवल एक रोलर तंत्र और एक खरीदा गया घटक है, जो स्टील या प्लास्टिक (अर्थात पीवीसी या नायलॉन) हो सकता है ।

vi लीविंग और बेडरूम फिटिंग, जैसे ट्राउजर पुल-आउट, स्लाइड माउंटेड टाई रैक आदि का उत्पादन भी भारत में किया जाता है । इसी प्रकार, चीन के उत्पादकों द्वारा उत्पादित विभिन्न बॉल कॉफिगुरेशन वाले उत्पाद भी भारत में उत्पादित किए जाते हैं ।

vii. नायलॉन सिलेन्डरीकल रोलर के साथ मोशन टेक्नोलॉजी का अंडर माउंट रनर एक उत्पाद है जो दराज में नीचे स्थापित किया जाता है । अत: केवल उत्पाद की प्लेसमेंट ही अलग है,न कि उत्पाद हीअलग है । चाहे इसे किनारे पर रखा गया हो या दराज के नीचे, यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है ।

viii. कोटिंग/ प्लेटिंग, क्लोजिंग टाइप और कच्चे माल के संबंध में, भारतीय उद्योग जिंक और ब्लैक कोटेड चैनल, सॉफ्ट क्लोज, पुश ओपर और मानक चैनल का उत्पादन करता है और न केवल हल्के (माइल्ड) स्टील बल्कि स्टेनलेस स्टील से बने चैनल भी बनाता है ।

ix. इसके अलावा, भारतीय निर्माता उच्च भार क्षमता के साथ हेवी ड्यूटी स्लाइड भी बनाते हैं जो अधिक लोडिंग क्षमता की आवश्यकता होने पर जरूरतों को पूरा कर सकते हों ।

x. चूंकि भारत में मांग मुख्य रूप से 45 मि.मी. उत्पाद की है, अत: भारतीय निर्माता 45 मि.मी. की शैली के उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 17 मि.मी. या 27 मि.मी. चौड़ाई के उत्पाद अप्रचलित हैं और अब शायद ही कभी उनकी मांग हो। किसी भी स्थिति में, भारतीय उद्योग 45 मि.मी. चौड़ाई से कम और उससे अधिक चौड़ाई के उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम है क्योंकि समान मशीनों का उपयोग करके आकार को बदला जा सकता है ।

xi. घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी और संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी में कोई अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी के साथ तुलनीय है । हालांकि, प्रत्येक निर्माता आवश्यकताओं और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर अपनी उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है ।

xii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय है । ये दोनों

तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं । उपभोक्ता दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है ।

xiii. प्राधिकारी निम्नलिखित के आधार पर पीसीएन का निर्धारण कर सकते हैं :

(क) कच्ची सामग्री अर्थात माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील ग्रेड 202 और ग्रेड 304

(ख) क्लोजिंग टाइप अर्थात सॉफ्ट/ क्लोज/ पुश ऑफ और नियमित क्लोजिंग

(ग) लोड बेयरिंग क्षमता अर्थात हेवी ड्यूटी (≥ 90 कि.ग्रा.) तथा हेवी ड्यूटी के अलावा ।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. जांच शुरुआत की अवस्था में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद (इसे "पीयूसी" के रूप में भी कहा गया है) इस प्रकार है :-

"4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद " टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉवर स्लाइडर" हैं, जिसे ड्रॉअर रनर/ चैनल/ सॉफ्ट क्लोज टेलीस्कोपिक चैनल के रूप में भी जाना जाता है । इसका उपयोग सामान्य तौर पर दराजों में किया जाता है, जिनका उपयोग वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है । यह एक छोटा उपकरण है जो दराज के बंद और खुले होने पर द्रव की गति को सरल बनाने में मदद करता है । टेलीस्कोपिक चैनल या रनर आधुनिक फर्नीचर डिजाइन का एक अनिवार्य घटक है जो दराज की कार्यक्षमता और सौंदर्यता को बढ़ाते हैं ।

5. इसमें दो या दो से अधिक इंटरलॉकिंग धातु खंड होते हैं जो दराज के खुलने और बंद होने पर फैलते और पीछे हटते हैं । टेलीस्कोपिक चैनल या रनर का उपयोग सामान्य तौर पर फर्नीचर, अलमारियों और उपकरणों में किया जाता है, जिन्हें भंडारण स्थान तक आसान पहुंच की आवश्यकता होती है ।

6. जबकि उत्पाद को कई अलग-अलग आकार और किस्मों में उत्पादित किया और बेचा जाता है, इनकी भार के मामले में अनिवार्य रूप से तुलना की जा सकती है। उत्पाद के आकार में परिवर्तन से उत्पादन की इकाई लागत और बिक्री (भार के आधार पर) में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता ।

7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 83 के तहत उप शीर्ष 83024110, 83024190, 83024200, और 83024900 के तहत वर्गीकृत किया गया है । सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

20. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद एच एस कोड 83024110 और 83024190 के तहत वर्गीकृत नहीं है और इनमें उप शीर्ष "भवन के लिए उपयुक्त" और "दरवाजे तथा खिड़कियों" की फिटिंग शमिल है । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद में एक समर्पित एच एस कोड नहीं है । इसे 8302 के तहत वर्गीकृत किया गया है । डी जी सी आई एंड एस से लेन देन-वार आयात के लिए प्राप्त आंकड़ों की जांच करने पर यह देखा गया कि विचाराधीन उत्पाद को 83024110, 83024190, 83024200, और 83024900 सहित विभिन्न कोड के तहत आयात किया गया है । हालांकि यह सीमा शुल्क अधिकारियों को तय करना है कि क्या आयातकों ने उचित रूप से सीमा शुल्क वर्गीकरण की घोषणा की है, क्योंकि प्राधिकारी किसी उत्पाद को विवरण के आधार पर परिभाषित करते हैं । यदि उत्पाद को किसी अन्य एच एस वर्गीकरण के तहत आयात किया गया है, तो प्राधिकारी को न केवल प्रस्तावित निर्धारण के प्रयोजन के लिए इसे शामिल करना आवश्यक है, बल्कि इसके लिए उपाय भी सुझाए जाने आवश्यक हैं। यह अतिरिक्त रूप से महत्वपूर्ण और आवश्यक है, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क केवल तभी लगाया जा सकता है, जब प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एच एस कोड में ऐसे एच एस कोड शामिल हों।

21. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां देने का अवसर प्रदान किया, जिसमें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कतिपय बहिष्करण की मांग की गई थी । हितबद्ध पक्षकारों ने अनेक बहिष्करण की मांग की है । तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि इनमें से अधिकांश दावे आधारहीन थे । हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा भी नहीं है कि ऐसे उत्पाद इतने भिन्न हैं कि इन्हें अलग उत्पाद और वर्तमान जांच के विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर कर दिया जाए । हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी स्थापित नहीं किया है कि ये उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उत्पादों के साथ व्यावसायिक और तकनीकी तौर पर प्रतिस्थापन करने योग्य नहीं हैं । यह उल्लेखनीय है कि सभी उत्पाद टाइप, जिन्हें बाहर किए जाने की मांग की गई है,

वे या तो घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किए गए जा रहे हैं या कोई विशिष्ट उत्पाद नहीं हैं, बल्कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मात्र एक वैकल्पिक नाम है ।

22. जहां तक नायलॉन सिलेंडरीकल रोलर, नायलॉन रोलर की दराज (ड्रॉअर) प्रणाली के साथ दराज रोलर के लिए मांग किए गए बहिष्करण का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि ये संबद्ध वस्तुएं हैं, जिनमें नायलॉन सिलेन्डरीकल रोलर हैं । नायलॉन सिलेन्डरीकल रोलर एक रोलर तंत्र है और एक खरीद किया गया घटक है । इन्हें खरीद कर लगाया जा रहा है । विभिन्न प्रकार के रोलर का उपयोग उत्पाद को एक अलग उत्पाद के रूप में प्रस्तुत नहीं करता ।

23. जहां तक अंडरमाउंट स्लाइड के बहिष्करण का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ये भी चैनल ड्रॉअर स्लाइडर हैं । अंडरमाउंट स्लाइड चैनल ड्रॉअर स्लाइडर हैं, जिनमें संबद्ध वस्तु के स्थान का अंतर होता है अर्थात ड्रॉअर के नीचे होता है । किसी भी स्थिति में, घरेलू उत्पादक भी संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और बाजार में उसकी बिक्री कर रहे हैं ।

24. जहां तक लेपित/प्लेटेड विषय वस्तु का संबंध है, यह नोट किया गया है कि घरेलू उत्पादक जस्ता और काली लेपित विषय वस्तु का भी उत्पादन करते हैं।

25. जहां तक हैवी ड्यूटी स्लाइड और हवी ड्यूटी बॉल बेयरिंग का संबंध है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि ये उत्पाद के केवल अलग-अलग टाइप हैं, जिनमें वस्तु की भार वहन करने की क्षमता का अंतर होता है । भारतीय उद्योग भी उच्च भार वहन करने वाली संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री कर रहा है ।

26. जहां तक सॉफ्ट क्लोज, पुश ओपन आदि का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि ये केवल संबद्ध वस्तुओं से संबद्ध अलग-अलग ओपनिंग और क्लोजिंग तंत्र है । इन तंत्रों का उपयोग होने से इन उत्पादों को नापसंद वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादक भी इन वेरिएंट का निर्माण करते हैं और इसीलिए उन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर करना आवश्यक नहीं है ।

27. जहां तक चैनल ड्रॉअर की विभिन्न चौड़ाई होने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि सामान्यत: उपयोग में लाई जाने वाली संबद्ध वस्तुएं 45 मि.मी. चौड़ाई की है । अलग- अलग चौड़ाई वाले उत्पाद का उत्पादन करने के लिए केवल उपकरणों का समायोजन करने की जरुरत होती है । कोई भी निर्माता मशीनरी का समायोजन कर सकता है और विभिन्न आकार में उत्पादन कर सकता है ।

28. जहां तक 3 - बॉल, 4 - बॉल, 5 - बॉल और 6 - बाल कांफिगुरेशन वाली संबद्ध वस्तुओं के बीच अंतर होने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह केवल बॉल बेयरिंग लगाए जाने की संख्या के बारे में है । इन्हें ग्राहकों की जरूरत के आधार पर उत्पादकों द्वारा समायोजित किया जा सकता है । घरेलू उद्योग भी इन टाइप के विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता है ।

29. जहां तक इकोनोबॉक्स का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ऐसे उत्पाद की टाइप या तुलनीय उत्पाद की टाइप की बिक्री दर्शाने में सक्षम नहीं है । इस प्रकार से, प्राधिकारी अनंतिम तौर पर यह मानते हैं कि इकोनो बॉक्स को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है ।

30. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियों की मांग की । हितबद्ध पक्षकारों को भौतिक रूप से बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था ताकि हितबद्ध पक्षकार अपने विरोध स्वरूप विचार प्रकट कर सकें और अपना खंडन प्रस्तुत कर सकें । इन हितबद्ध पक्षकारों के साथ हुई चर्चा के उपरांत, हितबद्ध पक्षकारों को अपने तर्क लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया गया था ।

31. प्राधिकारी घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करने के बाद, यह नोट करते हैं कि स्टील टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रमुख कच्ची सामग्री है, जो संबद्ध वस्तु की लागत और कीमत को प्रभावित करती हैं । इसके अतिरिक्त, उत्पाद का उत्पाद माइल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील या किसी अन्य सामग्री को उपयोग में लाकर किया जा सकता है । प्रयुक्त कच्ची सामग्री के आधार पर उत्पाद की लागत में काफी अंतर होता है । तद्नुसार, निम्नलिखित पीसीएन को अंतिम रूप दिया गया और दिनांक 30.11.2023 की सूचना सं. 6/13/2023-डीजीटीआर के तहत हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया, जिसकी एक प्रति डी जी टी आर की वेबसाइट पर भी डाली गई थी ।

क्र.सं.	मापदंड	पीसीएन	कोड
1	माइल्ड स्टील से निर्मित चैनल	एमएस	एमएस
2	स्टेनलैस स्टील से निर्मित चैनल	एसएस	एसएस
3	अन्य सामग्री से निर्मित चैनल	ओएस	ओएस

32. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु और संबद्ध देश से आयात किया गया विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयात की गई वस्तुएं नियमानुसार समान वस्तु हैं । ये दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य हैं । प्राधिकरण अनंतिम रूप से मानता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तु एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 2 (डी) के दायरे और अर्थ के भीतर विषय देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान है।

ध. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

i. कोई एसोसिएशन नियमावली के नियम 2(ग) के अनुसार एक आवेदन दायर कर सकती है, लेकिन उसे आवेदन के साथ में साक्ष्य प्रदान करने की जरूरत होती है ताकि यह साबित हो सके कि वे नियम 2(ग)(ii) के अनुसार एक हितबद्ध पक्षकार होने के लिए योग्य हैं ।

ii. हाईहोप को एक योग्य एसोसिएशन के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्होंने आवश्यक सूचना जैसे कि पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, संगम ज्ञापन, समर्थन, विरोध या तटस्थ रहने वाले सदस्यों की सूची आदि प्रस्तुत नहीं की है, जो कि घरेलू उद्योग की स्थिति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होती है ।

iii. न तो एसोसिएशन ने और न ही प्राधिकारी ने पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानी जाने वाली कंपनियों के बारे में कोई जानकारी प्रदान की है, जिसके आधार पर जांच हो सके ।

iv. नियमावली के नियम 5(3) के साथ नियम 5(4) का पठन करने की आवश्यकता है । एक बार, जब प्राधिकारी नियम 5(4) के तहत स्वत: जांच शुरू कर देते हैं,

तब भी उसे घरेलू उद्योग के निर्धारण, घरेलू उद्योग की स्थिति का पता लगाने आदि की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है ।

v. जांच शुरूआत के बाद के अनुरोधों के अनुसार प्राधिकारी ने ऐसे सैम्पल उत्पादकों की सूची भेजी, जिन्हें नियमावली के नियम 2(ख) के तहत "घरेलू उद्योग" के रूप में माना गया है ।

vi इस बात की कोई भी सूचना नहीं दी गई है कि सैम्पल का चयन कब हुआ, सैम्पल उत्पादकों का चयन करते समय प्राधिकारी द्वारा क्या पद्धति अपनाई गई। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपनाई गई प्रक्रिया पर टिप्पणी करने के लिए अवसर से वंचित कर दिया गया है ।

vii. कथित "समर्थकों" ने प्रस्तुत करने योग्य अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की है और इसीलिए उन्हें "समर्थक" नहीं माना जाना चाहिए ।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

34. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

i. टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर ने भारतीय विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे एसोसिएशन तथा कई निर्यातकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दायर किया, जिसमें यह कहा गया कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात में वृद्धि होने के कारण भारत में उद्योग को क्षति हो रही है ।

ii. उद्योग अत्यधिक विखंडित है और बड़ी मात्रा में एमएसएमई श्रेणी से संबंधित घरेलू उत्पादक शामिल हैं । हाईहोप भारत में संबद्ध वस्तु के 25 उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है ।

iii. प्राधिकारी द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात उत्पादकों से मांग किए गए उत्पादन विवरण पर एसोसिएशन ने आंकड़ों की उपलब्धता के अधीन भारतीय उत्पादन का एक विवरण प्रदान किया । एसोसिएशन के सदस्यों का उत्पादन आंकड़ा 17 प्रतिवादी सदस्यों के संबंध में दिया गया था । इन कंपनियों के पास साझा तौर पर पात्र घरेलू उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है ।

iv. एसोसिएशन ने एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से जांच शुरूआत होने के बाद अनुरोध भी दायर किए । प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित सैम्पल कंपनियों तथा घरेलू उद्योग के रूप में मानी गई कंपनियों ने जांच शुरूआत के बाद के अनुरोधों के साथ लागत और क्षति की सूचना दर्ज की:

क. जेनिल टेक्नो इंडस्ट्रीज
ख. स्लाइड टेक इंडस्ट्रीज
ग. सुकेतु एंटरप्राइज
घ. कियारा स्लाइडर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
ड. विनायक स्लाइड एलएलपी

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

35. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है ।"

36. प्राधिकारी को 25 कंपनियों से पाटित और क्षतिकारी आयातों से समाधान की मांग के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए । विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने में शामिल हाईहोप के 25 सदस्यों की सूची इस प्रकार है :-

i. एडवांस्ड टेक्नोलोजीज
ii. अग्रवाल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज
iii. अल्मेटल इंडस्ट्रीज
iv. अनिवेद इंडस्ट्रीज

v. एरोविन मेटलटेक (आई) प्रा. लिमिटेड
vi बटरफ्लाई ड्रॉअर स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
vii. ईसेन हार्डवेयर सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड
viii. ग्लिडॉक्स हार्डवेयर
ix. ग्लोरियस ग्रुप ऑफ कंपनी
x. हार्डवेल इंडस्ट्रीज
xi. जेनिल टेक्नो इंडस्ट्रीज
xii. खेतान उद्योग
xiii. कियारा स्लाइडर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
xiv. कृपाल हार्डवेयर एलएलपी
xv. पार्क वुड
xvi. पार्को हार्डवेयर एलएलपी
xvii. राजेंद्र इंजीटेक एलएलपी
xviii. राजहंस टेक्नोक्राफ्ट
xix. राजकोट एवरविन हार्डवेयर एलएलपी
xx. रेनो स्लाइड वेंचर प्रा. लिमिटेड
xxi. स्लाइड टेक इंडस्ट्रीज
xxii. सुकेतु एंटरप्राइज
xxiii. सन प्लास्टिक्स
xxiv. विनायक इंटरनेशनल
xxv. विज़न स्लाइड एलएलपी

37. इन अभ्यावेदनों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित पर सूचना मांगी है :

क. विचाराधीन उत्पाद, विभिन्न प्रारूप, टाइप/साइज, निर्माण प्रक्रिया आदि ।
ख. भारत में उत्पाद के घरेलू उत्पादकों का ब्यौरा
ग. उत्पादन की लागत के अनुमान
घ. भारत में उत्पाद के आयात
ड. देश में पाटन के कारण भारतीय उद्योग को क्षति
च. क्या क्षति पाटन के कारण से थी।

38. यद्यपि, इन पक्षकारों ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से आवेदन दायर नहीं किया था, लेकिन फिर भी इन अभ्यावेदनों में नियम 5(3)के तहत अपेक्षित सूचना

शामिल थी । इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि भारत में विचाराधीन उत्पाद की उत्पादक एमएसएमई कंपनियां हैं और उद्योग खंडित है ।

39. अत: प्राधिकारी ने इन अभ्यावेदनों में निहित विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए और इन अभ्यावेदनों में निहित सूचना की सटीकता और पर्याप्तता पर प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद, स्वत: वर्तमान जांच शुरू की।

40. एसोसिएशन ने 25 से अधिक उत्पादकों के उत्पादन को *** मीट्रिक टन के रूप में मापा।

41. जांच शुरू होने के बाद, प्राधिकरण ने आवेदक संघों को भारत में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों के संबंध में नियमों के अनुसार क्षति और अन्य जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया। जवाब में, निम्नलिखित कंपनियों ने अपनी क्षति की जानकारी प्रदान की। जैसा कि व्यापार सूचना संख्या: 09/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 द्वारा निर्धारित किया गया है:

i. एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज
ii. अग्रवाल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज
iii. अल्मेटल इंडस्ट्रीज
iv. अनिर्वेद इंडस्ट्रीज
v. एरोइन मेटलटेक प्राइवेट लिमिटेड
vi. बटरफ्लाई ड्रॉवर स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
vii. ईसेन हार्डवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
viii. ग्लिडॉक्स हार्डवेयर
ix. ग्लोरियस ग्रुप ऑफ कंपनी
x. हार्डवेल इंडस्ट्रीज
xi. जेनिल टेक्नो इंडस्ट्रीज
xii. खेतान उद्योग
xiii. कियारा स्लाइडर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
xiv. क्रिनापाल हार्डवेयर एलएलपी
xv. पार्क वुड
xvi. पार्को हार्डवेयर एलएलपी
xvii. राजेंद्र एंगिटेक एलएलपी
xviii. राजहंस टेक्नोक्राफ्ट

xix. राजकोट एवरविन हार्डवेयर एलएलपी

xx. रेनो स्लाइड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड

xxi. स्लाइड टेक इंडस्ट्रीज

xxii. सुकेतु एंटरप्राइज

xxiii. सन प्लास्टिक

xxiv. विनायक इंटरनेशनल

xxv. विजन स्लाइड एलएलपी

42. प्राधिकरण को डोरसेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से सबमिशन प्राप्त हुआ, जिसने खुद को टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉवर स्लाइडर के आयातक और एक संभावित घरेलू निर्माता के रूप में पहचाना। कंपनी ने डंपिंग रोधी जांच का समर्थन किया है और आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

43. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि एसोसिएशन को एक पात्र एसोसिएशन के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, संगम ज्ञापन, जिन सदस्यों ने समर्थन किया, विरोध किया या तटस्थ रहे, उनकी सूची आदि जैसी आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है जो कि जांच शुरूआत करने से पूर्व घरेलू उद्योग की स्थिति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होती है ।

44. यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच प्राधिकारी द्वारा संबद्ध वस्तुओं के कई भारतीय उत्पादकों और उनकी एसोसिएशनों से प्राप्त कई अभ्यावेदनों के आधार पर स्वत: शुरू की गई थी । अत: जांच शुरूआत से पूर्व औपचारिक आवेदन के लिए सामान्यत: आवश्यक सूचना आवश्यक नहीं थी ।

45. इसके अलावा, जिन उत्पादकों ने क्षति की सूचना दी है, वे सामूहिक रूप से कुल भारतीय उत्पादन का ***% से अधिक हैं। इस प्रकार आवेदन को घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया माना जाता है। घरेलू उत्पादक, जिन्होंने क्षति के आंकड़े प्रदान किए हैं, भारत में घरेलू उत्पादन में एक बड़े अनुपात के लिए जिम्मेदार हैं: यह ध्यान दिया जाता है कि उत्पादक भारत में किसी भी निर्यातक या विषय वस्तुओं के आयातक से संबंधित नहीं हैं। इसलिए, प्राधिकरण का मानना है कि ऊपर उल्लिखित 25 उत्पादक, जिन्होंने अपनी क्षति की जानकारी प्रदान की है, नियमों के नियम 2 (बी) के तहत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं।

46. इसके अतिरिक्त, इन उत्पादकों ने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वे इसके आयातकों या निर्यातकों से संबद्ध थे । इस प्रकार से, सैम्पल घरेलू उत्पादक

नियम 2(ख) के तात्पर्य से पात्र घरेलू उद्योग हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंडों को पूरा करते हैं ।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

47. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

i. जांच शुरूआत अधिसूचना जारी होने के बाद आवेदक से आवेदन का अद्यतन अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाना चाहिए । एसोसिएशन ने अभ्यावेदन के अगोपनीय पाठ में पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं की है । गोपनीय होने का दावा किए गए आंकड़ों के लिए अभ्यावेदन में सूचीबद्ध संख्याएं नहीं दी गई हैं।

ii. याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध आयात की मात्रा और मूल्य के आकलन के लिए अपनाए गए आयात संबंधी आंकड़ों के सटीक स्रोत का प्रकटन नहीं किया है ।

iii. नॉन सैम्पल उत्पादकों, जिन्हें संबद्ध जांच में समर्थकों के रूप में पेश किया गया है, के यदि किसी अगोपनीय पाठ को छोड़ भी दें, तो उन्होंने अपने आर्थिक मापदंडों से संबंधित मूलभूत सूचना दाखिल नहीं की है ।

iv. याचिकाकर्ता ने अपनाई गई आयात पृथक्करण पद्धति का प्रकटन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद के आयात सेट में और जोड़े में किए जाते हैं। याचिकाकर्ताओं ने भार को सेट, जोड़े या पीस से आंकड़ों को कि.ग्रा. या मी.टन में परिवर्तित करने के लिए रूपांतरण आधार का भी प्रकटन नहीं किया है।

v. याचिकाकर्ताओं ने पंजीकरण प्रमाण पत्र, संगम ज्ञापन, एसोसिएश्न के सदस्यों की सूची आदि जैसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं जो कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन के लिए प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है ।

vi याचिकाकर्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया पर कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया है, भले ही दो से अधिक उत्पादक हैं और यह प्रक्रिया सामान्य और सामान्य एवं सुविख्यात है । इसी प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने इसके

आर्थिक मापदंडों के संबंध में समग्र सूचना प्रदान नहीं की है, बल्कि केवल सूचीबद्ध क्रम में आंकड़ा प्रदान किया है ।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

48. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है ।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

49. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है ।

50. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम-7 के तहत प्रावधान इस प्रकार है-:

" 7. गोपनीय सूचना :

(1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उप नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

51. ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई । प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावों को आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है । जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया था । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय बताया है ।

52. जहां तक एसोसिएशन द्वारा उपयोग किए गए आयात संबंधी आंकड़ों के स्रोत का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एसोसिएशन ने आंकड़े के स्रोत को बाजार आसूचना के रूप में निर्दिष्ट किया है । प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए डी जी सी आई एंड एस के लेन देन वार आंकड़ों पर विचार किया है ।

च. सामान्य मूल्य,निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

53. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है ।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

54. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :-

i. विगत मामलों में प्राधिकारी और अन्य देशों में जांच प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई स्थिति के अनुसार चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए ।

ii. प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-I के पैरा-6 का अनुसरण केवल तभी किया जाएगा जब चीन की कंपनियां यह स्थापित करें कि उनकी लागत और मूल्य की जानकारी ऐसी है कि व्यक्तिगत सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है । यदि चीन की 'कंपनियां' यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत की जानकारी को

अपनाया जा सकता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार कर देगा ।

iii. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 चीन जन. गण. से आयात के लिए सामान्य मूल्य की गणना पर लागू नहीं होते हैं, जब तक कि कोई निर्माता/ निर्यातक पर्याप्त सबूत नहीं दिखाता कि वह बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत कार्य कर रहा है । परिणामस्वरूप, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार किया जाना है ।

iv. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य के लिए संगत आंकड़ा उपलब्ध नहीं था । भारत सहित किसी तीसरे देश से दूसरे देश की कीमत पर भी विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संबद्ध वस्तुएं मुख्य रूप से चीन जन. गण. से भारत में आयात की जा रही हैं । इसके अलावा, चूंकि ऐसे कई कोड हैं जिनके तहत विचाराधीन उत्पाद का लेन देन किया जा रहा है, अत: प्राधिकारी लेन देन-वार आंकड़े की मांग कर सकते हैं और यदि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किसी देश को उपयुक्त पाया जाता है तो प्राधिकारी ऐसे स्रोत से आयातों पर विचार कर सकते हैं ।

v. बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों को शामिल करने के बाद, भारत में उत्पादन की लागत के अनुमान के आधार पर रूपांतरण लागत को शामिल करने के लिए इस कीमत में उचित समायोजन किया गया था ।

vi निर्यात मूल्य को कारखाना बाहय मूल्य निर्धारित करने के लिए उचित समायोजन किए जाने के बाद प्रकाशित डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों से अपनाई गई जांच की अवधि के लिए आयात की मात्रा और मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारण किया जाना चाहिए ।

vii. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है, बल्कि संबद्ध देश के लिए भी महत्वपूर्ण है ।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

सामान्य मूल्य का निर्धारण

55. अधिनियम की धारा 9(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य यह है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो; अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :*

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया हैं और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

56. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 के तहत प्रावधान इस प्रकार है :

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम

समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे :

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(iii) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का

उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(iv) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैंसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(v) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया हैं कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था हैं, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

57. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद (15)(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो चुके हैं। तथापि, एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के तहत बाध्यता के साथ पठित डब्ल्यू टी ओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधानों में भारत की पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में विनिर्दिष्ट मानक को बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का दावा करने के लिए अनुपूरक प्रश्नावली में प्रदान किए जाने वाले आंकड़ों/ सूचना के माध्यम से पूरा किया जाना है ।

58. जांच शुरूआत की अवस्था में, प्राधिकारी ने एस जी ए और लाभों को विधिवत शामिल करके संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत पर कुछ घरेलू उत्पादकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आगे कार्रवाई की है । जांच शुरू होने पर, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में उत्पादकों/ निर्यातकों को परामर्श दिया कि वे जांच शुरूआत होने की सूचना का उत्तर दें और अपनी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक सूचना प्रदान करें । प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) में विनिर्दिष्ट मानदंडोंके अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन करने और संगत

विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी । प्राधिकारी ने चीन जन. गण. की सरकार से चीन जन. गण. में उत्पादकों/ निर्यातकों को संगत सूचना प्रदान करने का परामर्श देने का अनुरोध किया ।

59. किसी भी निर्यातक/ उत्पादक ने चीन की एनएमई स्थिति का विरोध नहीं किया । इस प्रकार, उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और चीन की किसी भी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा के खंडन की अनुपस्थिति में, प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानना उचित समझते हैं और यह प्रस्ताव करते हैं कि चीन जन. गण. के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुबंध-I के पैरा - 7 के साथ आगे बढ़ा जाए ।

60. नियमावली के अनुबंध-I के पैरा-7 का पठन इस प्रकार है :

> *"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी ।"*

61. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक क्रम निर्दिष्ट किया गया है और यह प्रावधान किया गया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे

देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाएगा अथवा ऐसे तीसरे देश से अन्य देश में कीमत के आधार पर किया जाएगा, जिसमें भारत शामिल है अथवा जहां यह संभव नहीं है, वहां किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें एक तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए आवश्यकता के अनुसार समान उत्पादन के लिए भारत में वास्तविक रूप से भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत, विधिवत समायोजन के साथ, शामिल है । इस प्रकार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को अनुबंध-7 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न क्रमबद्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना आवश्यक है । किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्य या निर्मित मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं है । वर्तमान जांच में संबद्ध देश के अलावा, अन्य देशों से भारत में आयात कम मात्रा में हैं । इस प्रकार. बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से भारतमें आयात को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नहीं माना जा सकता है । सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से अन्य देश में कीमत पर आधारित नहीं हो सकता है, क्योंकि संबद्ध वस्तु में समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है ।

62. इसलिए, प्राधिकरण ने चीन में संबंधित आयात के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण "भारत में वास्तव में देय मूल्य" के रूप में किया है, जैसा कि एडी नियम, 1995 के अनुबंध - I के पैरा 7 में निर्धारित है। इसकी गणना उत्पादन की लागत के आधार पर की गई है। घरेलू उद्योग, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और मुनाफे में उचित वृद्धि के साथ। इस प्रकार निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य डंपिंग मार्जिन तालिका में नीचे दिया गया है ।

निर्यात कीमत का निर्धारण

63. चीन जन. गण. से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है और प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। इन उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा दायर किए गए उत्तरों की यहां नीचे जांच की गई है:-

i. **मै. डोंगगुआन टॉपमिन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड; हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड, हांगकांग (ईएचके); हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया के जरिए डोंगगुआन लिटोंग प्रिसिजन स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड**

64. मै. डोंगगुआन लिटोंग प्रिसिजन स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ("लिटोंग" के रूप में भी संदर्भित) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक है और इसने चीन के व्यापारी अर्थात् डोंगगुआन टॉपमिन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है, जिसने आगे एक अन्य ट्रेडर अर्थात् हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड (ईएचके) के जरिए भारत को वस्तुओं का निर्यात किया है। ईएचके ने भारत में एक संबंधित पक्षकार हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया जिसने भारत में असंबंधित ग्राहकों को बिक्री की है। सभी तीनों कंपनियां अर्थात् डोंगगुआन लिटोंग प्रिसिजन स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, डोंगगुआन टॉपमिन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली फार्मेट में संगत सूचना उपलब्ध कराई है।

65. प्रश्नावली उत्तर के अनुसार, डोंगगुआन लिटोंग प्रिसिजन स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने संदर्भित व्यापार सारणियों के माध्यम से *** कि.ग्रा. का निर्यात किया है।

66. दायर उत्तर के अनुसार यह देखा गया है कि हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड ने वर्तमान जांच के लिए अपने उत्तर के साथ एसईटी के संदर्भ में बेची गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा को प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई माप की इकाई अर्थात् कि.ग्रा. में परिवर्तित करने के लिए अपनाई गई पद्धति को दायर नहीं किया है।

67. इसके अलावा, हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड ने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का *** कि.ग्रा. निर्यात किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम डेटा के साथ निर्यातक द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा को सह संबद्ध किया है। यह देखा गया है कि निर्यातक द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा में डीजी सिस्टम डेटा द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा से उल्लेखनीय अंतर है। हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों और डीजी सिस्टम डेटा में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के बीच उल्लेखनीय असमानता है। अत: प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के कारण, लिटोंग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को डंपिंग और क्षति मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी।

ii. मै. फोशान फ़्यूज़ेयर मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड

68. मै. फोशान फ़्यूज़ेयर मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ("फ्यूजेयर" के रूप में भी संदर्भित) संबद्ध देश में एक उत्पादक है और भारत को सीधे ही संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करता है। फ्यूजेयर ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली फार्मेट में संगत सूचना उपलब्ध कराई है।

69. फ्यूजेयर द्वारा दायर उत्तर के अनुसार, इसने पीओआई के दौरान *** कि.ग्रा. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और भारत में असंबंधित ग्राहकों को इसका निर्यात किया है। प्राधिकारी ने बताई गई मात्रा को डीजी सिस्टम डेटा के साथ सह संबद्ध किया है यह देखा गया है कि उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा डीजी सिस्टम द्वारा बताई गई मात्रा से उल्लेखनीय रूप से भिन्न है। उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा *** कि. ग्रा. कम है।

70. इसके अतिरिक्त, फ्यूजेयर ने अपने उत्तर के साथ वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई माप की इकाई अर्थात् कि.ग्रा. को एसईटी के संदर्भ में बेची गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए इसके द्वारा अपनाई गई पद्धति को दायर नहीं किया है।

71. आगे यह देखा गया है कि समान उत्पाद विवरण वाले बहुत से उत्पादों के लिए प्रति सेट भार में भिन्नता है। अत: प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के कारण, जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी।

iii. मै. ग्वांगडोंग डोंगटाई हार्डवेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के जरिए फ़ोशान शुंडेडाओके टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

72. फ़ोशान शुंडे डाओके टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक है और इसने चीन में अपनी संबंधित ट्रेडर कंपनी अर्थात् मै. ग्वांगडोंग डोंगटाई हार्डवेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ("हांगकांग डोंगटाई" के रूप में भी ज्ञात) के जरिए भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

73. फ़ोशान शुंडे डाओके टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने पीओआई के दौरान भारत को *** कि.ग्रा. संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। हांगकांग डोंगटाई ने भी निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली फार्मेट में संगत सूचना भी उपलब्ध कराई है जिसकी इस अधिसूचना में अलग से जांच की गई है।

iv. मै. फोशान शुंडे हेकियान प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

74. मै. फोशान शुंडे हेकियान प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड संबद्ध देश में एक उत्पादक है और इसने पीओआई के दौरान सीधे ही भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

75. दायर किए गए उत्तर के अनुसार, इसने पीओआई के दौरान भारत में असंबंधित ग्राहकों को *** कि.ग्रा. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा को डीजी सिस्टम डेटा के साथ सह संबद्ध भी किया है। यह देखा गया है कि उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा डीजी सिस्टम डेटा द्वारा बताई गई मात्रा से भिन्न है । उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा और डीजी सिस्टम डेटा में रिपोर्ट की गई मात्रा में *** कि.ग्रा. की बेमेलता है।

76. इसके अलावा, फ्यूजेयर शुंडे हेकियान प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने वर्तमान जांच के लिए अपनाई गई माप की इकाई अर्थात् कि.ग्रा. को एचईटी के संदर्भ में बेची गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए इसके द्वारा अपनाई गई को अपने उत्तर के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। आगे यह देखा गया है कि समान उत्पाद विवरण वाले एकाधिक उत्पादों के लिए प्रति सेट भार के बीच भिन्नता है। अतः, प्राधिकारी पूर्ण सत्यापन के लंबित रहने तक अनंतिम रूप से मानते हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के कारण, जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्ष के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी।

v. मैसर्स. गुआंगडोंग डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन (हांगकांग) लिमिटेड

77. गुआंगडोंग डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया है और सीधे ही भारत को उनका निर्यात किया है। इसने मै. डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन (हांगकांग) लिमिटेड के जरिए भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। इसके अतिरिक्त, डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन (हांगकांग) लिमिटेड ने फ़ोशान शुंडे दाओके टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड,से अधिप्राप्त वस्तुओं का भी निर्यात किया है, जिसने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली फार्मेट में संगत सूचना भी उपलब्ध कराई है जिसकी इस अधिसूचना में अलग से जांच की गई है।

78. गुआंगडोंग डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने प्रत्यक्ष रूप से *** कि.ग्रा. और अप्रत्यक्ष रूप से *** क्रि.ग्रा. संबद्ध वस्तुओं का भारत में असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा को डीजी सिस्टम डेटा के साथ सह संबद्ध किया है। यह देखा गया है कि सीधे निर्यातों के लिए उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा डीजी सिस्टम डेटा द्वारा बताई गई मात्रा से भिन्न है। उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा में *** कि.ग्रा. की बेमेलता है।

79. इसके अतिरिक्त, निर्यातक डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन (हांगकांग) लिमिटेड द्वारा बताई गई मात्रा भी डीजी सिस्टम्स डेटा में बताए गए डेटा से उल्लेखनीय रूप से भिन्न है। उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा में *** कि.ग्रा. की बेमेलता है। अतः, प्राधिकारी पूर्ण सत्यापन को लंबित रहने तक मानते हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के कारण, जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्ष के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी।

vi. मै. गुआंग्डोंग हांगली हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड, हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड (व्यापारी) के जरिए हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया को

80. गुआंग्डोंग हांगली हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड संबद्ध देश में उत्पादक है और इसने हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड के जरिए भारत को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है जिसने आगे इसे भारत में अपनी संबंधित हस्ती अर्थात् हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्यात कर दिया। यह देखा गया है कि हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी

प्रयोक्ता / आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं जिसमें इसने माल को भारत में असंबंधित ग्राहकों को बिक्री करने के बारे में रिपोर्ट की है।

81. गुआंग्डोंग हांगली हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड ने यह दावा करते हुए परिशिष्ट -3 अर्थात् भारत को निर्यातों के लिए कंपनी की प्रत्यक्ष बिक्रियों से संबंधित सूचना अपने उत्तर के साथ दायर नहीं की है कि इसने भारत को सीधे ही कोई निर्यात नहीं किए हैं। तथापि, डीजी सिस्टम्स आंकड़ों से, यह देखा गया है कि गुआंग्डोंग हांगली हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड ने निश्चय ही भारत को सीधे ही निर्यात किए हैं जिसके बारे में प्रश्नावली के अपने उत्तर में उत्पादक द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई है। अत:, प्राधिकारी मानते हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के कारण, जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्ष के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी।

vii. मै. ग्वांगडोंग जिनो हार्डवेयर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड; गुआंगज़ौ जिनो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड और लवहोम हार्डवेयर (गुआंगज़ौ) कं, लिमिटेड

82. ग्वांगडोंग जिनो हार्डवेयर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड (जिसे "जिनो इंडस्ट्रियल" के रूप में भी जाना जाता है) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है और इसने अपनी संबंधित कंपनियों गुआंगज़ौ जिनो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड (जिसे "जिनो टेक्नोलॉजी" के रूप में भी जाना जाता है) और लवहोम हार्डवेयर (गुआंगज़ौ) कं, लिमिटेड ("लवहोम" के रूप में भी ज्ञात) के जरिए भारत में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। दोनों व्यापारियों / निर्यातकों अर्थात् जिनो टेक्नोलॉजी और लवहोम भी असंबद्ध उत्पादक जीयांग झोंगक्सिंग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड से संबद्ध वस्तुओं का क्रय भी किया है।

83. प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा बताए गए आंकड़ों को डी जी सिस्टम्स आंकड़ों के साथ सह संबद्ध किया है, देखा गया है कि दोनों निर्यातकों ने निश्चय ही भारत को सीधे निर्यात किए हैं। तथापि, जिनो टेक्नोलॉजी और लवहोम द्वारा प्रश्नावली के अपने उत्तर में बताई गई मात्रा और डीजी सिस्टम्स आंकड़ों द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा में कोई मेल नहीं है। जिनो टेक्नोलॉजी और डीजी सिस्टम्स डेटा द्वारा बताई गई मात्रा के बीच *** कि.ग्रा. का अंतर है और लवहोम और डीजी सिस्टम्स द्वारा बताई गई मात्रा के बीच

*** कि.ग्रा. का अंतर है। अत:, प्राधिकारी मानते हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के कारण, जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी।

viii. मै. गुआंग्डोंग औला हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

84. गुआंग्डोंग औला हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ("औला" के रूप में भी ज्ञात) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है और भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही निर्यात करता है।

85. दायर किए गए उत्तर के अनुसार, इसने पीओआई के दौरान *** संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और भारत में असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा को डीजी सिस्टम्स आंकड़ों के साथ भी सह संबद्ध किया है। यह देखा गया है कि उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा डीजी सिस्टम्स डेटा द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा से भिन्न है। उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा और डीजी सिस्टम्स आंकड़ों के बीच *** कि.ग्रा. की बेमेलता है।

86. इसके अतिरिक्त, औला ने अपने उत्तर में भार अर्थात् वर्तमान जांच में अपनाई गई माप की इकाई के संदर्भ में बिक्री मात्रा का परिकलन करने के लिए एक परिवर्तन दर को उपलब्ध कराए बिना सेटों और नगों की संख्या के संदर्भ में बिक्री की मात्रा के बारे में सूचना दी है। अत: निर्यात कीमत को निर्धारित नहीं किया जा सकता और प्राधिकारी मानते हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के कारण, जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी।

ix. गुआंग्डोंग टैमिंग मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड

87. गुआंग्डोंग टैमिंग मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ("गुआंग्डोंग टैमिंग" के रूप में भी ज्ञात) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु की उत्पादक है और इसने अपनी सहायक कंपनी

टैमिंग एडवांस प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ("टैमिंग एडवांस" के रूप में भी ज्ञात) के जरिए भारत में असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात किया है।

88. दायर उत्तर के अनुसार, हालांकि, यह देखा गया है कि टैमिंग एडवांस ने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के *** कि.ग्रा. का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा को डीजी सिस्टम्स डेटा के साथ भी सह संबद्ध किया है। यह देखा गया है कि निर्यातक द्वारा बताई गई मात्रा डीजी सिस्टम्स डेटा में बताई गई मात्रा से उल्लेखनीय रूप से भिन्न है। टैमिंग एडवांस द्वारा बताए गए आंकड़ों और डीजी सिस्टम्स के डेटा में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में उल्लेखनीय असमानता है। अत:, प्राधिकारी मानते हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के कारण, जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी।

x. मै. गुआंगडोंग जिंगपेंग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड

89. गुआंगडोंग जिंगपेंग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड एक ऐसा उत्पादक है जिसने भारत को सीधे भी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है और इटरनल मार्क प्रा. लिमिटेड (हांगकांग) और इटरनल मार्क सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भी निर्यात किया है।

90. इटरनल मार्क सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड ने हैहुई, चीन जन. मे संबद्ध वस्तुओं के एक उत्पादक, से भी खरीद की है जिसने प्रश्नावली उत्तर का प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

91. दायर किए गए उत्तर के अनुसार, गुआंगडोंग जिंगपेंग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, इटरनल मार्क प्रा. लिमिटेड (हांगकांग) और इटरनल मार्क सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड ने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के क्रमश: *** कि.ग्रा., *** कि.ग्रा. और *** कि.ग्रा. का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा बताई गई मात्रा को डीजी सिस्टम्स डेटा के साथ भी सह संबद्ध किया है। यह देखा गया है कि निर्यातक द्वारा बताई गई मात्रा डीजी सिस्टम्स डेटा द्वारा बताई गई मात्रा से उल्लेखनीय रूप से भिन्न है। गुआंगडोंग जिंगपेंग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड और इटरनल मार्क सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बताए गए आंकड़ों तथा डीजी सिस्टम्स डेटा में बताए गए आंकड़ों में उल्लेखनीय असमानता है। आगे, यह देखा गया है कि इटरनल मार्क प्रा. लिमिटेड (हांगकांग) द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा *** कि.ग्रा. कम बताई गई है। अत:, प्राधिकारी

अनंतिम रूप से मानते हैं कि, विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के कारण, जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी।

xi. मै. जियांग सिटी किकी हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

92. जियांग सिटी किकी हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ("किकी" के रूप में भी ज्ञात) एक उत्पादक है और इसने पीओआई के दौरान सीधे ही भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया हे।

93. किकी द्वारा दायर किए गए उत्तर के अनुसार, इसने पीओआई के दौरान *** कि.ग्रा. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया है और भारत में असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा को डीजी सिस्टम्स डेटा के साथ भी सह संबद्ध किया हे। यह देखा गया हे कि उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा और डीजी सिस्टम्स डेटा द्वारा बताई गई मात्रा में उल्लेखनीय अंतर है। उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा और डीजी सिस्टम्स डेटा में प्रकट होने वाली मात्रा में *** कि.ग्रा. की असमानता है। अत:, प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि पूर्ण सत्यापन के लंबित रहने तक, पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सूचना को उत्पादक / निर्यातक द्वारा दायर किया गया नहीं माना जा सकता। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी।

xii. जियांगमिंगबो हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

94. जियांगमिंगबो हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (जियांगमिंगबो के रूप में भी संदर्भित) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है जिसने अपनी असंबद्ध शुद्ध व्यापारी कंपनी गुआंगज़ौ रोंगटाई हार्डवेयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ("जियांगमिंगबो" के रूप में भी संदर्भित) के जरिए भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। असंबद्ध निर्यातक अर्थात् गुआंगज़ौ रोंगटाई ने भी अपनी संबंधित उत्पादक शान्ताउ रोंगताई हार्डवेयर प्लास्टिक फैक्ट्री ("गुआंगज़ौ रोंगताई" के रूप में भी संदर्भित) से क्रय की गई

संबद्ध वस्तुओं का भारत को निर्यात किया है। गुआंगज़ौ रौंगटाई और शान्ताउ रौंगताई, दोनों ने, निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली फार्मेट में संगत सूचना उपलब्ध कराई है जिसकी इस अधिसूचना में पृथक रूप से जांच की गई है।

xiii. मै. जियेयांग झेंगबियाओ हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड

95. जियेयांग झेंगबियाओ हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण. में एक उत्पादक है जिसने अप्रत्यक्ष रूप से भारत में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात् फॉर्च्यून प्लस टेक्नोलॉजी (गुआंगज़ौ) लिमिटेड, जो एक निर्यातक / व्यापारी कंपनी है, के जरिए निर्यात किया है।

96. फॉर्च्यून प्लस द्वारा दायर उत्तर के अनुसार, इसने पीओआई के दौरान भारत को *** कि.ग्रा. संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा को डीजी सिस्टम्स डेटा के साथ भी सह संबद्ध किया है। यह देखा गया है कि उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा डीजी सिस्टम्स आंकड़ों द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा से भिन्न है। उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा *** कि.ग्रा. कम बताई गई है।

97. इसके अतिरिक्त, यह देखा गया हे कि फार्च्यून प्लस ने अपने उत्तर में अन्य असंबद्ध उत्पादकों / आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई संबद्ध वस्तुओं को भारत को निर्यात करने के बारे में भी बताया है। फार्च्यून प्लस द्वारा दायर परिशिष्ट - 2 के अनुसार, जो अन्य उत्पादकों / आपूर्तिकर्ताओं से क्रय किए गए विचाराधीन उत्पाद के विवरणों के बारे में इंगित करता है, अन्य असंबद्ध उत्पादक / आपूर्तिककर्ता हैं फोशान, नानहेई, जीयांग जिनान और जीयांग लिएंडरशेंग इन उत्पाद कों / आपूर्तिकर्ताओं ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किए हैं। इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला अधूरी रह गई है। अत: विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित रहने तक, प्राधिकरण अनंतिम रूप से मानता है कि जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी के रूप में नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी।

xiv. जियेयांग झोंगक्सिंग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड

98. जियांग झोंगक्सिंग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड (झोंगक्सिंग के रूप में संदर्भित) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है। झोंगक्सिंग ने गुआंगज़ौ जिनो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (जिनो टेक्नोलॉजी के रूप में संदर्भित) और लवहोम हार्डवेयर (गुआंगज़ौ) कंपनी लिमिटेड (लवहोम के रूप में भी संदर्भित) के जरिए भारत में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

99. तथापि, जिनो टेक्नोलॉजी और लवहोम द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा और डीजी सिस्टम्स डेटा में दिखाई देने वाले आंकड़ों के बीच असमानता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने अनंतिम रूप से विस्तृत जांच और सत्यापन को लंबित रखा है, कि जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी के रूप में नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी।

xv. शान्ताउ रोंगताई हार्डवेयर प्लास्टिक फैक्ट्री

100. शान्तोउ रोंगताई हार्डवेयर प्लास्टिक फैक्ट्री (शान्तोउ रोंगताई के रूप में भी संदर्भित) चीन में संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक है। पीओआई के दौरान, शान्तोउ रोंगताई ने पीयूसी का उत्पादन किया तथा इसकी अपने संबंधित निर्यातक गुआंगज़ौ रोंगताई हार्डवेयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (रोंगताई के रूप में भी संदर्भित) को बिक्री की। यह देखा गया है कि पीओआई के दौरान रोंगताई ने एक असंबद्ध उत्पादक जियांगमिंगबो हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड से पीयूसी का क्रय किया और उसकी भारत को पुन: बिक्री की।

101. रोंगताई द्वारा दायर उत्तर के अनुसार, इसने पीओआई के दौरान *** कि.ग्रा. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया और उनकी भारत में असंबद्ध ग्राहकों को बिक्री की। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा को डीजी सिस्टम्स आंकड़ों के साथ सह संबद्ध किया है। यह देखा गया है कि उत्पादक द्वारा बताई गई मात्रा डीजी सिस्टम्स डेटा द्वारा बताई गई मात्रा से भिन्न है। निर्यातक द्वारा बताई गई मात्रा और डीजी सिस्टम्स डेटा द्वारा बताई गई मात्रा के बीच *** कि.ग्रा. की असमानता है। अत:, प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के कारण, जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के

प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी।

xvi. झाओकिंग सिटी गाओयाओ डिस्ट्रिक्ट कांगक्सुन प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

102. झाओकिंग सिटी गाओयाओ डिस्ट्रिक्ट कांगक्सुन प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (कांगक्सुन के रूप में भी संदर्भित) संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक है। कांगक्सुन ने संबद्ध वस्तुओं का अपनी सहायक कंपनी झाओकिंग सिटी गाओयाओ डिस्ट्रिक्ट चुआंग्यीयुआन मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (चुआंग्यीयुआन के रूप में भी संदर्भित) के जरिए निर्यात किया है।

103. अपनी प्रतिक्रिया के अनुसार, चुआंग्ययुआन ने पीओआई के दौरान भारत में असंबंधित ग्राहकों को *** किलोग्राम विषय का सामान निर्यात किया है। यह ध्यान दिया जाता है कि निर्यातक ने पीओआई के दौरान केवल *** मीट्रिक टन पीयूसी की आपूर्ति की है, जबकि भारत में कुल आयात 46,276 मीट्रिक टन है, इस प्रकार भारत में कुल आयात का केवल ***% है।

104. उत्पादक/निर्यातक ने अपने प्रत्युत्तर के साथ एसईटी के संदर्भ में बेची गई विषयगत वस्तुओं की मात्रा को वर्तमान जांच के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई माप की इकाई अर्थात् केजी में परिवर्तन के लिए अपनाई गई पद्धति को अपने उत्तर के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। यह आगे देखा गया है कि एक ही उत्पाद विवरण के साथ विभिन्न लेनदेन के लिए प्रति सेट वजन के बीच महत्वपूर्ण भिन्नता है। कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि एक ही विवरण वाले उत्पाद का अलग-अलग वजन क्यों है। यहां तक कि उत्पाद एक ही पीसीएन ("एमएस") के हैं। इस प्रकार, प्राधिकरण अनंतिम रूप से, विस्तृत जांच और सत्यापन के लिए निर्धारित करता है, कि जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से उत्पादक/निर्यातक द्वारा दायर नहीं माना जा सकता है। तथापि, अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा दिए गए प्रस्तुतियों की आगे जांच की जाएगी।

xvii. मैसर्स. झोंगशान हाइबाओ प्रिसिजन हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड

105. मैसर्स. झोंगशान हाइबाओ प्रिसिजन हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड (हैबाओ के रूप में भी संदर्भित) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक है और इसने हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड (ईएचके) के जरिए भारत को संबद्ध वस्तुओं का अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया है। ईएचके ने हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पीयूसी का निर्यात किया है जो भारत में एक संबंधित पक्षकार है। पीओआई के दौरान, हाइबाओ ने असंबंधित निर्यातकों / व्यापारियों के जरिए भी भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

106. प्रस्तुत किए गए परिशिष्ट - 3ख अर्थात् संबंधित / असंबंधित निर्यातकों, जिन्होंने अंतत: भारतीय ग्राहकों को बिक्री की है, की कंपनी की बिक्रियों से संबंधित सूचना के अनुसार यह देखा गया है कि हाइबाओ ने इटरनल मार्क हांगकांग, इटरनल मार्क सिंगापुर, एमकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और इंडस्ट्रीज ऑक्सिलियरेस को भी बिक्री की है।

107. यह नोट किया गया है कि जहां इटरनल मार्क हांगकांग और इटरनल मार्क सिंगापुर ने निर्यातकों की प्रश्नावली से संबंधित उत्तर दायर किए हैं, किसी भी निर्यातक ने हाइबाओ से क्रय करने के बारे में रिपोर्ट नहीं की है। आगे यह भी नोट किया गया है कि एमकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और इंडस्ट्रीज ऑक्सिलियरेस ने निर्यातको की प्रश्नावली से संबंधित उत्तर दायर ही नहीं किए हैं! एक पूर्ण मूल्य श्रृंखला की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी प्रर्ण सत्यापन के लंबित रहने तक, अनंतिम रूप से मानते हैं कि विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित होने के कारण, जानकारी को डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्माता/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए जांच के दौरान निर्माता/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जाएगी।

<u>सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य</u>

108. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली विस्तृत जांच और सत्यापन लंबित रहने तक प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण इस समय उपर्युक्त उत्पादक/निर्यातक के निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रिया को अनंतिम रूप से स्वीकार नहीं करता है। प्राधिकरण जांच के दौरान संबंधित उत्पादकों/निर्यातक को उनके उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा।

पाटन मार्जिन

109. विषय वस्तु के लिए निर्मित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, विषय देश से विषय वस्तु के लिए डंपिंग मार्जिन को अनंतिम रूप से निम्नानुसार निर्धारित किया गया है

विवरण	इकाई	एमएस	एसएस	जोड़
आयात मात्रा	मी. टन	20,911	25,365	46,276
निर्मित सामान्य मूल्य	डॉलर/ मी. टन	***	***	***
निवल निर्यात कीमत	डॉलर/ मी. टन	884	1,411	1,173
पाटन मार्जिन	डॉलर/ मी. टन	***	***	***
पाटन मार्जिन	%	***	***	***
पाटन मार्जिन	रेंज	20-30	60-70	50-60

छ. क्षति निर्धारण और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच के लिए अपनाई गई पद्धति

110. अनुबंध-2 के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में व्यवस्था की गई है कि किसी क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति की ओर संकेत करते हैं, "....सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिन में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है..."। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस पर विचार किया जाना अनिवार्य समझा गया कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत के साथ तुलना किए जाने पर पाटित आयातों द्वारा उल्लेखनीय कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से उल्लेखनीय मात्रा तक कीमतों में ह्रास किया है या कीमतों में वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से घटित हुई होती।

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के मत

111. क्षति और कारणात्मक सिंबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग के मत

112. क्षति और कारणात्मक संबंध के विषय में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:-

i. भारतीय उद्योग एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो स्वरूप से खंडित है और असंगठित क्षेत्र इसे और अधिक अनुसंरक्षित बनाता है। चीन से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को अत्यधिक क्षति पहुंचाई है।

ii. जांच शुरूआत के बाद के निवेदनों के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग के लिए संबद्ध देश से आयातों की मात्रा और मूल्य के लिए केवल एचएस कोड 83024900 पर विचार किया गया है। यह भी निवेदन किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात ने भारी मात्रा में विभिन्न एचएस कोडों के अंतर्गत भारतीय बाजार में प्रवेश किया है। इसलिए, निवेदन में आयात की मात्रा कम बताई गई है।

iii. क्षति अवधि में चीन जन. गण. से आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई हैं। 2019-20 से 2021-22 की अवधि में संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में कमी आई है। पीओआई की अवधि में, हालांकि, चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई है।

iv. भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में चीन जन. गण. से आयात क्षति अवधि में महत्वपूर्ण बने रहे हैं।

v. पूरी क्षति अवधि के दौरान भारतीय बाजार में इस उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, हाल की अवधि में भारतीय उद्योग ने भी क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि की है।

vi पूरी क्षति अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयातों की पहुंच कीमत भारतीय उद्योग की बिक्री कीमत से महत्वपूर्ण रूप से निम्न बनी रही है, इसलिए कीमत कटौती उल्लेखनीय रूप से सकारात्मक है।

vii. आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत में कमी आई है और उसके बाद पीओआई तक उसमें वृद्धि हुई है। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के स्तर से उल्लेखनीय रूप से निम्न है, आयात भारतीय बाजार में कीमत न्यूनीकरण कर रहे हैं।

viii. पीयूसी उत्पादन क्षमताओं की स्थापना के लिए भारी क्षमता प्रस्तुत करते हैं। इसलिए, भारतीय उत्पादकों ने नई क्षमताओं का सृजन करने और विद्यमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। मांग में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है। तथापि, भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण मात्रा में उपलब्ध पाटित आयातों के कारण, घरेलू ने पीओआई में अपनी स्थापित क्षमता का केवल *** प्रतिशत ही प्रयोग किया है।

ix. घरेलू उद्योग जीवित रहने के लिए अत्यधिक दबाव में है, क्योंकि संबद्ध वस्तुएं ऐसी कीमतों पर घरेलू बाजार में प्रवेश कर रही हैं जो लागत से भी कम है और घरेलू उद्योग को ऐसी कीमतों पर अपने उत्पाद बेचने के लिए विवश कर रही हैं जो मुश्किल से उसकी लागत से अधिक है। पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग लाभों का निम्न स्तर अर्जित करता रहा है। लागत के प्रतिशत के रूप में लाभ *** प्रतिशत से भी काफी निम्न है। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए भी उचित लाभ के रूप में ***प्रतिशत की अनुमति दी है।

x. घरेलू उद्योग के नकद लाभों में वृद्धि हुई है, किंतु इनका लगातार काफी निम्न स्तर पर बने रहना जारी है।

xi. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के आरओआई में गिरावट आई है और यह उल्लेखनीय रूप से निम्न स्तर पर बना हुआ है।

xii. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के पास मालसूची में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में मालसूची के स्तर में *** प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि मांग में वृद्धि हुई है।

xiii. क्षमता में वृद्धि के साथ, कर्मचारियों की संख्या में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तदनुसार, क्षति अवधि में भुगतान की गई मजदूरी और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।

xiv. संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक हे बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

xv. अभी हाल की अवधि में कम से कम तीन कंपनियों को अपने उत्पादन को बंद करने के लिए विवश होना पड़ा है।

xvi. पीओआई के दौरान मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इस प्रकार यह साक्ष्य है कि मांग में संभावित संकुचन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

xvii. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

xviii. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आर्थिक मापदंड केवल उनके घरेलू निष्पादन के लिए हैं। इसलिए, घरेलू उद्योग ने क्षति का निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग का संभावित कारण नहीं है।

xix. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी साथ ही उत्पादन प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग के पास उत्पाद का उत्पादन करने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी विद्यमान है। प्रौद्योगिकी में संभावित परिवर्तन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

xx. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधित पद्धति विद्यमान नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान कर सकती है।

xxi. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता। प्रतिदर्श उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है जो वर्तमान प्रयोजन के लिए एकमात्र प्रासंगिक सूचना है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

छ.3.1 मांग/प्रत्यक्ष खपत का मूल्यांकन

113. मांग / प्रत्यक्ष खपत के प्रयोजन हेतु, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात और घरेलू उद्योग द्वारा की गई कुल घरेलू बिक्रियों और अन्य सभी भारतीय उत्पादकों द्वारा की गई बिक्रियों पर विचार किया है।

मांग	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
	अनुक्रमित-मी.टन	100	153	203	255
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
		100	173	338	317
कुल बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
	अनुक्रमित-मी.टन	100	162	264	283
चीन जन. गण. से आयात	मी.टन	17,436	27,214	47,922	46,276
अन्य देशों से आयात	मी.टन	342	2,798	3,471	2,820
कुल आयात	मी.टन	17,778	30,012	51,393	49,096
कुल मांग/खपत	मी.टन	21,651	36,287	61,620	60,056
	अनुक्रमित-मी.टन	100	168	285	277

114. यह देखा गया है कि क्षति अवधि में उत्पाद की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि कुल मांग में घरेलू उत्पादकों की हिस्सेदारी पूरी क्षति अवधि के दौरान 17%-18% पर स्थिर बनी हुई है।

छ.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

क. कुल रूप में तथा सापेक्ष संदर्भ में आयात

115. पाटित आयातों की मात्रा के संदर्भ में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए जाने की जरूरत है कि क्या कुल रूप में या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के सौदावार आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और क्षति जांच अवधि के दौरान इसका हिस्सा निम्नानुसार है:-

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
आयात मात्रा					
चीन जन. गण. से आयात	मी.टन	17,436	27,214	47,922	46,276

अन्य देशों से आयात	मी.टन	342	2,798	3,471	2,820
कुल आयात	मी.टन	17,778	30,011	51,393	49,096
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात					
कुल आयात	%	98	91	93	94
भारतीय उत्पादन	%	381	420	388	315
भारतीय मांग	%	81	75	78	77

116. यह देखा गया है कि:

क. चीन से आयातों में क्षति की पूरी अवधि अर्थात् 2021-22 तक काफी हद तक वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में इसमें मामूली रूप से गिरावट आई है। संबद्ध आयातों की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में लगभग 165 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

ख. आयातों में संबद्ध देश का हिस्सा क्षति की पूरी अवधि के दौरान बहुत अधिक रहा है। संबद्ध आयातों में जांच की अवधि में भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों का 94 प्रतिशत था।

ग. आयात भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक रहा ।

घ. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात बहुत अधिक हैं और ये भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग का लगभग 73 प्रतिशत पूरा करते हैं।

ड. भारतीय उद्योग द्वारा देश में इस उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि करने के बावजूद, आयातों का भारतीय बाजार में बहुत बड़ा हिस्सा है।

117. प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयात क्षति की अवधि के दौरान पूर्ण रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में दोनों में बहुत अधिक रहा है।

छ.3.3. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

118. इस नियमावली के अनुबंध II (ii) के संदर्भ में, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाने वाली है जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती।

119. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क) <u>कीमत में कटौती</u>

120. उस सीमा जिस सीमा तक आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, का निर्धारण करने के लिए संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से की गई है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर विचार कारखानागत स्तर पर जिसमें सभी छूट और करों का निवल शामिल है, पर विचार किया गया है। कीमत में कटौती का निर्धारण अलग-अलग पीसीएन के लिए पृथक रूप से किया गया है और उसके बाद कीमत में कटौती का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के लिए किया गया है।

विवरण	इकाई	जांच की अवधि		
		एमएस	एसएस	पीयूसी
आयातों का पहुंच मूल्य	रु./एमटी	86,154	1,35,554	1,13,346
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***
कीमत में कटौती	रु./एमटी	***	***	***
	%	***	***	***
	रेंज	20-30	60-70	50-60

121. यह देखा गया है कि संबद्ध आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है। जांच अवधि में आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी हद तक कटौती हो रही थी। आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों में ***% की कमी आ रही है।

ख) <u>कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण</u>

122. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत में प्रवृत्तियों की तुलना की है तथा संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत की प्रवृत्तियों से तुलना की है। कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण का आकलन अलग-अलग पीसीएन के लिए पृथक रूप से किया गया है।

विवरण	इकाई	जांच की अवधि	
		एमएस	एसएस
आयातों का पहुंच मूल्य	रु./एमटी	86,154	1,35,554
बिक्री की लागत	रु./एमटी	***	***
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***

123. यह देखा गया है कि माइल्ड स्टील से निर्मित समान वस्तु की बिक्री कीमत इसकी लागत से मामूली रूप से अधिक है जबकि स्टेनलेस स्टील से निर्मित समान वस्तु की कीमत जांच की अवधि में इसकी लागत से कम है। माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील से निर्मित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के मामले में पहुंच मूल्य तुलनीय समान वस्तुओं की लागत से बहुत कम है। यह देखा गया है कि जांच की अवधि में पाटित आयातों के कारण बाजार में इस उत्पाद की कीमतें कम हुई हैं।

छ.3.4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

124. नियमावली के अनुबंध II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिनका बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो; घरेलू कीमतों, पाटन के मार्जिन के आकार को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रवाह, माल

सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों की चर्चा इसमें नीचे की गई है:

i. <u>क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री</u>

125. क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
सूचकांक		100	138	158	195
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
सूचकांक		100	141	214	243
क्षमता का उपयोग	%	***	***	***	***
सूचकांक		100	111	144	96
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सूचकांक		100	153	203	255
मांग	एमटी	21,651	36,287	61,620	60,056

126. यह देखा गया है कि:

क. इस उत्पाद की मांग ने इस अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि दर्शायी है। इस मांग ने विशेष रूप से वर्ष 2021-22 तक वृद्धि और जांच की अवधि में मामूली गिरावट दर्शायी है।

ख. उत्पाद की मांग में अचानक और तेज वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, पीओआई में भारत में निर्माताओं द्वारा नई क्षमताएं जोड़ी गईं।

ग. क्षमता में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग के उत्पादन ने भी कुछ वृद्धि दर्ज की है हालांकि यह उत्पादन घरेलू उद्योग के पास संस्थापित क्षमताओं और बाजार में इस

उत्पाद की मांग को देखते हुए उन स्तरों से बहुत कम है जिसे घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता था।

घ. घरेलू उद्योग की बिक्री में भी बढ़ोतरी देखी गई है। हालाँकि, बिक्री की मात्रा में वृद्धि देश में मांग में वृद्धि की तुलना में बहुत कम है। यह देखा गया है कि कुल मांग में घरेलू उत्पादकों की हिस्सेदारी पूरी क्षति अवधि के दौरान 17%-18% पर स्थिर बनी हुई है। मांग में वृद्धि मुख्य रूप से संबद्ध आयातों द्वारा ग्रहण की गई है ।

ड. घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग के कम स्तर के साथ कार्य कर रहा है। इसके अलावा, बाकी क्षमता के उपयोग में 2021-22 तक वृद्धि हुई, उसमें जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई। जांच की अवधि में क्षमता का उपयोग तत्काल पिछले वर्ष की तुलना में भी कमतर नहीं था बल्कि पिछले समग्र वर्षों के दौरान भी यह कमतर था।

ii. <u>मांग में बाजार हिस्सा</u>

127. बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
संबद्ध देश	%	81	75	78	77
अन्य देश	%	2	8	6	5
घरेलू उद्योग	%	17	17	17	18

128. यह देखा गया है कि भारतीय उद्योग द्वारा देश में मौजूदा और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के बावजूद, क्षति की अवधि के दौरान संबंधित देश की बाजार हिस्सेदारी महत्वपूर्ण बनी हुई है। पीओआई में भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की मुश्किल से 18% हिस्सेदारी है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि भारतीय उद्योग के पास पीओआई के दौरान 60,056 एमटी की स्थापित मांग की तुलना में सामूहिक रूप से लगभग 56,000 एमटी की क्षमता है।

iii. <u>लाभप्रदता, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल</u>

129. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर प्रतिफल का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
सूचकांक		100	98	127	115
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
सूचकांक		100	98	126	114
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	रु./एमटी	***	***	***	***
सूचकांक		100	66	-16	35
लाभ के प्रतिशत के रूप में पीबीटी	%	***	***	***	***
सूचकांक		100	67	-12	31
नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
सूचकांक		100	94	66	84
लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
सूचकांक		100	87	33	72

130. यह देखा गया है कि:

क. घरेलू उद्योग बिक्री की लागत पर मामूली लाभ अर्जित करता रहा है।

ख. बिक्री की प्रति इकाई लाभ काफी कम है और 2020-21 तक गिरावट आई और 2021-22 में नकारात्मक हो गई, उसके बाद जांच अवधि में मामूली वृद्धि हुई।

ग. महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि और उत्पादन और बिक्री में परिणामी वृद्धि के बावजूद, आधार वर्ष की तुलना में नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर रिटर्न में गिरावट आई।

131. प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग लाभ का बहुत कम स्तर अर्जित करने में सक्षम रहा है। इसके अलावा, मुनाफे का इतना निम्न स्तर 2021-22 में नकारात्मक हो गया। नकद लाभ और आरओआई ने समान प्रवृत्ति का अनुसरण किया है।

iv. <u>मालसूची</u>

132. क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति से संबंधित आकड़ा नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
मालसूची	एमटी	***	***	***	***
मालसूची	एमटी-सूचीबद्ध	100	107	130	168

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास माल-सूची का स्तर बढ़ गया है। इन्वेंट्री में ऐसी वृद्धि 2021-22 और POI के बाद से महत्वपूर्ण है, जब आयात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। POI के अंत में समापन स्टॉक POI के घरेलू उद्योग के उत्पादन का लगभग ***% था।

v. <u>रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता</u>

134. घरेलू उद्योग की रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि

कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
सूचकांक		100	111	164	178
वेतन एवं मजदूरी	लाख रु. में	***	***	***	***
सचूकांक		100	87	138	200
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
सूचकांक		100	141	200	229

135. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। रोजगार के स्तरों में वृद्धि के साथ भुगतान किए गए वेतनों ने भी वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा, उत्पादकता ने भी उत्पादन के संचलन के अनुरूप बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी है।

vi. <u>वृद्धि</u>

136. घरेलू उद्योग की वृद्धि के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है:

विवरण	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**जांच की अवधि**
क्षमता	%	***	***	***
उत्पादन	%	***	***	***
बिक्री	%	***	***	***
औसत मालसूची	%	***	***	***
प्रति इकाई लाभ	%	(***)	(***)	***
प्रति इकाई नकद लाभ	%	(***)	(***)	***
निवेश पर प्रतिफल	%	(***)	(***)	***

137. यह देखा गया है कि डंप किए गए आयात ने उत्पादन, बिक्री और इन्वेंट्री के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यहां तक कि घरेलू उद्योग ने

2021-22 तक लाभ, नकद लाभ और आरओसीई में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, उसके बाद जांच अवधि में इन मापदंडों में मामूली सुधार दिखाया गया है।

छ) <u>पाटन और पाटन मार्जिन का आकार</u>

138. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि यह बहुत अधिक भी है।

ज) <u>कुछ घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन का निलंबन</u>

139. घरेलू उद्योग ने सबूत दिए हैं कि कुछ घरेलू उत्पादकों को हाल की अवधि में अपना उत्पादन बंद करने के लिए मजबूर किया गया है। उन उत्पादकों की सूची जिन्होंने अपना उत्पादन बंद कर दिया है, इस प्रकार है:

i. फ़िनापाल हार्डवेयर एलएलपी
ii. मिलान एंटरप्राइज
iii. कोरम स्लाइड एलएलपी

झ. <u>कारणात्मक संबंध</u>

i. <u>कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक</u>

140. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन का विश्लेषण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति दर्शाता है। डंप किए गए आयात और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित किया गया है:

क. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात पूर्ण रूप से बढ़ा है और सापेक्ष रूप में महत्वपूर्ण बना हुआ है।

ख. पहुंच मूल्य बिक्री मूल्य के स्तर से नीचे है और जांच अवधि में बिक्री की लागत से भी कम है जिसके कारण बाजार में कीमतों में गिरावट आई है।

ग. आयात तब बढ़ रहा है जब घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग केवल 20-30% के बीच है। इस प्रकार आयात के मद्देनजर क्षमताओं का बहुत कम उपयोग किया जाता है।

घ. भारत में कुल मांग में डंप किए गए आयात की बाजार हिस्सेदारी लगभग 77% रही जबकि भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी केवल 18% के आसपास है।

ङ. घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुरूप अपना उत्पादन और बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। घरेलू उद्योग के पास जांच अवधि में काफी अप्रयुक्त क्षमता थी, भले ही मांग बढ़ गई थी।

च. घरेलू उद्योग की सूची बढ़ रही है, क्योंकि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं है। आयात आक्रामक रूप से भारत में मांग पर कब्जा कर रहा है।

छ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर रिटर्न पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। घरेलू उद्योग के मुनाफे पर भारी असर पड़ा है. लागत के प्रतिशत के रूप में पीबीटी जांच अवधि में केवल ***% के आसपास है।

141. उपर्युक्त विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को संबंधित देश से भारत में पाटित आयात में वृद्धि के कारण वास्तविक क्षति हो रही है। विषय देश में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यातित विषय माल के डंप किए गए आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति के बीच कारण संबंध मौजूद है।

ञ) <u>गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

142. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों के अलावा किसी ज्ञात कारकों की जांच करें जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य पद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन तथा उत्पादकता शामिल है। यहां नीचे इस तथ्य की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

143. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश को छोड़ कर अन्य स्रोतों से संबद्ध वस्तुओं के आयात बहुत अधिक नहीं है।

ख. मांग में संकुचन

144. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

145. विचाराधीन उत्पादन के खपत के पैटर्न में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य पद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

146. संबद्ध वस्तुओं के आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं है और देश में उनका स्वतंत्र रूप से आयात नहीं किया जा सकता है।

ड. प्रौद्योगिकी का विकास

147. प्राधिकारी नोट करते हैं विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

च. निर्यात कार्य निष्पादन

148. दी गई सूचना पर विचार घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों के लिए ही किया गया है। फिर भी यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है।

छ. उत्पादकता

149. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ज. <u>क्षति मार्जिन का परिमाण</u>

150. उद्योग की खंडित प्रकृति और इसमें शामिल उत्पादकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने गैर-हानिकारक मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से घरेलू उत्पादकों का

नमूना लेना उचित समझा। इसलिए, जबकि घरेलू उद्योग का गठन करने वाले सभी उत्पादकों से संबंधित सूचना पर चोट विश्लेषण के लिए विचार किया गया था, गैर-हानिकारक मूल्य और क्षति माजन एक नमूने के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, प्राधिकरण ने सांख्यिकीय रूप से वैध नमूना निर्धारित किया। प्राधिकरण ने आवेदकों को सूचित किया कि निम्नलिखित नमूना उत्पादकों को लागत संबंधी जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक था, जो नमूना घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई थी।

i.जेनिल टेक्नो इंडस्ट्रीज

ii.स्लाइड टेक इंडस्ट्रीज

iii.सुकेतु एंटरप्राइज

iv.कियारा स्लाइडर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

v. विनायक स्लाइड एलएलपी

151. लागत संबंधी सूचना प्राप्त होने पर यह नोट किया गया कि नमूना लिए गए उत्पादक केवल माइल्ड स्टील (एमएस) का उपयोग करके पीयूसी का उत्पादन कर रहे थे और इसलिए प्राप्त सूचना में सभी प्रकार के कच्चे माल को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, नमूना उत्पादकों के दायरे को बढ़ाया गया था ताकि बटरफ्लाई ड्रॉवर स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक भारतीय उत्पादक के रूप में शामिल किया जा सके जो स्टेनलेस स्टील का उपयोग करके इस तरह के उत्पाद का निर्माण करता है।

152. तदनुसार, प्राधिकरण ने संशोधित अनुबंध III के साथ पढ़े गए नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर नमूना किए गए घरेलू उत्पादकों के लिए गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित किया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। विचाराधीन उत्पाद की गैर-हानिकारक कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित जानकारी/डेटा को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच मूल्य की तुलना करने के लिए गैर-हानिकारक मूल्य पर विचार किया गया है। गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय नहीं लगाया गया। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (यानी, औसत शुद्ध अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित रिटर्न (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य

पर पहुंचने की अनुमति दी गई थी। नियमों का अनुलग्नक III और उसका पालन किया जा रहा है।

153. सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उतराई तक का मूल्य डीजीसीआईएस आंकड़ों से एकत्रित सूचना के आधार पर निर्धारित किया गया है। संबंधित देश के सभी गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकरण ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अवतरित मूल्य निर्धारित किया है।

154. उपरोक्तानुसार अवतरित मूल्य और एनआईपी के आधार पर, प्राधिकरण द्वारा अनंतिम रूप से निर्धारित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए चोट मार्जन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	एमएस	एसएस	कुल
आयात की मात्रा	एमटी	20,911	25,365	46,276
क्षति रहित कीमत	रु./एमटी	***	***	***
पहुंच कीमत	रु./एमटी	86,154	1,35,554	1,13,346
क्षति मार्जिन	रु./एमटी	***	***	***
क्षति मार्जिन	यूएस डॉलर/एमटी	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***
क्षति मार्जिन	रेंज	10-20	70-80	50-60

ञ. भारतीय उद्योग के हित, जनहित और अन्य मुद्दे

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

155. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i) यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तब भारत को निर्यात में बहुत अधिक हद तक कमी आएगी तथा आयातक एवं प्रयोक्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।

ii) अतर्कसंगत रूप से शुल्क का उच्च स्तर भारतीय फर्नीचर निर्माताओं के लिए लागतों, स्थानीय कारपेंटरों के लिए परियोजनाओं की लागतों में वृद्धि करेगा और इस कारण

से अतिरिक्त लागतें अंतिम प्रयोक्ताओं पर डाली जाएंगी । आयात का तर्कसंगत फ्लोर कीमत असंगठित क्षेत्र में निम्न कोटि के आयातों को समाप्त करने में मदद करेगा।

iii) घरेलू उत्पादक छोटे और टुकड़ों में बंटे हुए हैं। उनके पास सीमित क्षमता है और वे भारत की समग्र मांग को समुचित रूप से पूरा नहीं कर सकते हैं। चीन जन. गण. से आयात की गई वस्तु को देखते हुए कोई आपूर्ति संबंधित बाधा नहीं है।

iv) घरेलू उद्योग की अपने निर्माण ढांचा को उन्नत करने की अनिच्छा जैसे कारकों और उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण क्षति हुई होगी। इसके अलावा घरेलू उद्योग वितरण, ब्रांडिंग, प्रदर्शन केंद्रों आदि में निवेश नहीं करते हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री करने जिसके कारण उनकी क्षमताओं का उपयोग नहीं किया जाता है।

v) विदेशी उत्पादकों को भारतीय उत्पादकों की तुलना में निम्नलिखित लाभ प्राप्त होता है:

क) विशिष्ट ग्रेड की आयात की गई स्लाइड जिसका आयात किया जा रहा है, की अन्य स्टील ग्रेडों की तुलना में उच्चतर वजन धारण क्षमता है। चीन में इसकी उपलब्धता के कारण, निर्यातकों को भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में लाभ मिलता है।

ख) उच्च क्षमता वाली जिंक कोटिंग सिस्टम की उपलब्धता

ग) उत्कृष्ट उत्पादों का निरंतर रूप से निर्माण करने के लिए उत्पादन की प्रक्रियाओं और तुलिंग का कार्यान्वयन,

घ) उत्पाद की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की जाचं करने के लिए इनहाउस परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा

ड.) किफायती उत्पादन। उन्होंने पूंजी उपकरण में बहुत अधिक निवेश किया है और वे लागत कार्य क्षमताएं प्राप्त करने में सक्षम हैं।

vi) आयात की गई वस्तु बेहतर गुणवत्ता और उत्पाद मानक देती है तथा वह सफलतापूर्वक साल्ट स्प्रे टेस्ट और लाईफ साईकल टेस्ट जैसे परीक्षणों में सफल होती है ।

vii) यदि पाटन रोधी शुल्क लगाया जाता है, तब इसे सही तरीके से लगाया जाना चाहिए अर्थात् उस तरीके से लगाया जाना चाहिए जो कम कीमतों पर कम गुणवत्ता वाले

उत्पादों का निर्यात करने वाले उत्पादकों को समाप्त करने में सहायक होगा तथा क्षति का सही कारण यही है।

viii) गोदरेज ने विचाराधीन उत्पाद का स्थानीय आपूर्तिकर्ता का पता लगाने की कोशिश की है लेकिन वर्तमान में कोई भी भारतीय आपूर्तिकर्ता के पास गोदरेज की आवश्यकता की पूरा किट बनाने की क्षमता नहीं है। भारतीय आपूर्तिकर्ता को कम से कम 18-24 महीने तथा तेजी से आगे बढ़ने वाले ड्रोअर स्लाइस की गोदरेज की आवश्यकता का मुकाबला करने के लिए अपनी मौजूदा प्रोफाइलों को विकसित करने तथा क्षमता का निर्माण करने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। जैसे ही क्षमता और सक्षमता भारत में विकसित हो जाएगी, प्रयोक्ता इस उत्पाद की भारतीय आपूर्ति की ओर जाने के लिए इच्छुक होंगे।

ix) एब्को, संबद्ध वस्तुओं का एक घरेलू उत्पादक और आयातक, का उद्येश्य विचाराधीन उत्पाद की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा का निर्माण करना है। हालांकि अवसंरचना की स्थापना में समय लगेगा और चीन जन. गण. से आयातों के द्वारा अधिक मांग को पूरा करना अपेक्षित है।

x) डोरसेट के ग्राहक सस्ती संबद्ध आयातों की गुणवत्ता में गिरावट की शिकायत करते हैं। यह वितरक की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा अंतिम प्रयोक्ताओं को जोखिम उत्पन्न करता है। चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का पाटन डोरसेट सहित बाजार में आने से संभावित निवेशकों और निर्माताओं को हतोत्साहित कर रहे हैं।

ञ.2 घरेलू उद्योगों का विचार

156. घरेलू उद्याग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i) शुल्कों को लगाया जाना भारतीय बाजार में समान अवसर, समान वस्तु की घरेलू उत्पादन की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और इस उत्पाद पर बहुत अधिक हद तक आयात पर निर्भर होने से भारत को रोकने के लिए आवश्यक है।

ii) वर्तमान में संबद्ध वस्तुओं के 25 से अधिक उत्पादक हैं। कुछ उत्पादन सुविधाएं जो निर्माणाधीन थी, को या तो स्थापित नहीं किया जा रहा है अथवा कार्य में बहुत अधिक हद तक धीमापन आ गया है। पाटित आयातों में कुछ भारतीय उत्पादकों को अपने

प्रचालन पूर्ण रूप से बंद करने के लिए बाध्य किया है। यदि स्थिति और बदतर होती है तब इनमें से अनेक उत्पादक पूर्ण रूप से अपना प्रचालन बंद करने के लिए बाध्य होंगे।

iii) यदि उपभोक्ता पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर हो जाते हैं तब वे अपेक्षाकृत उच्च मालसूची स्तर रखने के लिए बाध्य होंगे। तथापि, घरेलू उद्योग से खरीद के मामले में, उपभोक्ता के पास अपेक्षाकृत कम मालसूची स्तर बनाए रखने का विकल्प है।

iv) घरेलू उद्योग एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और देश में समावेशी विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

v) शुल्कों को लगाने से नई निर्माण सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा। एक निर्माण सुविधा की स्थापना में मुश्किल से 6 महीने लगते हैं और उसके लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि भारतीय उत्पादकों को समन अवसर उपलब्ध कराया जाए तब वे बहुत कम समय में क्षमताओं को बढ़ा लेंगे।

vi) समान अवसर उपलब्ध कराने से भारतीय उद्योग अपनी क्षमता का इष्टतम स्तरों तक उपयोग करने और फिर रोजगार का सृजन करने में सक्षम होगा। एएएसएमई क्षेत्र के घरेलू उद्योग कम पूंजी लागत पर अधिक संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा, एक निर्माण सुविधा की स्थापना संबद्ध क्रियाकलापों में *** व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी उत्पन्न करेगा।

vii) संबद्ध वस्तुओं की प्राथमिक डाउन स्ट्रीम प्रयोक्ता फर्नीचर उद्योग जिसे संगठित और असंगठित बाजार में आंका जा सकता है। बड़े संगठित बाजार उद्योग प्रचालन के अपने स्केल पर विचार करते हुए शुल्कों को लगाए जाने से मुश्किल से प्रभावित होंगे।

viii) आवेदक ने एक टेबल की बिक्री कीमत पर टेलीस्कोपिक चैनलों के एक समुच्य के आधार पर लागत का निर्धारण किया। यदि टेलीस्कोपिक चैनलों के 3 सेट का उपयोग तीन ड्राअर वाले एक टेबल में किया जाए जिसकी प्रकारात्मक रूप से लगभग *** रूपए लागत होती है, तीन टेलीस्कोपिक चैनलों की लागत लगभग *** रूपए होगी।

ix) संबद्ध देश में उत्पादक लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से ही कार्य करेंगे और उनके पास भारतीय बाजार के दीर्घ अवधि विकास में कोई स्टेक अथवा हित नहीं होगा। यदि एक अन्य बाजार बेहतर कीमतें देता है तब ऐसे उत्पादक अपनी बिक्री लक्ष्यों को

उस ओर ले जाने के लिए बाध्य हैं। ग्राहकों के रूप में उसकी राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा भारतीय उद्योग उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखेंगे।

x) टेलीस्कोपिक चैनल की मांग में क्षति की अवधि के दौरान विशेषकर जांच की अवधि में वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना के अनुसार, भारतीय फर्नीचर उद्योग से आशा है कि वह 2023-28 की अवधि के दौरान *** प्रतिशत की सीएजीआर की दर से विकास करेगा। यह विकास आगे भारतीय उद्योग के विस्तार को प्रोत्साहित करेगा। शुल्कों को लगाए जाने के फलस्वरूप देश में निवेश, उत्पादन, रोजगार, सरकारी राजस्व, अभिनवता में वृद्धि होगी।

xi) शुल्कों को लगाए जाने से न केवल भारतीय उद्योग की समस्या दूर होगी बल्कि अप स्ट्रीम उत्पादकों जिनके पास भारतीय मांग से बहुत अधिक क्षमताएं हैं, की मांग भी बढ़ेगी।

xii) उपभोक्ता घरेलू उत्पाद और आयात किए गए टेलीस्कोपिक चैनल का उपयोग वैकल्पिक रूप से कर रहे हैं। वर्तमान में, घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण उचित स्तरों तक अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। शुल्कों को लगाए जाने के साथ, घरेलू उद्योग अपनी निष्क्रिय क्षमता का उपयोग करने में सक्षम होंगे और भारतीय बाजार जिसके पास पर्याप्त मांग हैं को पूरा करने में सक्षम होंगे।

xiii) विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति में किसी कमी का अनुमान निकट भविष्य में नहीं लगाया जाता है। भारत में टेलीकस्कोपिक चैनलों के अनेक उत्पादक हैं। इसके अलाव, यद्यपि टेलीस्कोपिक चैनल के आयात वृहत रूप से चीन जनगण से होते हैं अत: ये आयात अनेक देशों जैसे ऑस्ट्रीया, जर्मनी इंडोनेशिया, इटली आदि से भारतीय बाजार में हो रहे हैं। इस प्रकार विभिन्न अनेक देश भी संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में शामिल हैं।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

157. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी शुल्क का उद्देश्य आम तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार कार्य पद्धतियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर संस्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। भारत में सबद्ध वस्तुओं के लिए समान अवसर

सुनिश्चित करना भारतीय उद्योग की संरचना को देखते हुए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय उद्योग पूर्ण रूप से एमएसएमई क्षेत्र में आता है। यदि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री उनके लिए अव्यवहार्य होगी तब वे अपने प्रचालनों को बंद करने के लिए बाध्य होंगे।

158. प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार किया कि क्या पाटन रोधी शुल्क को लगाए जाने का आम जनता के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के प्रभाव के निर्धारण करने के उदेश्य से प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में इन वस्तुओं की उपलब्धता पर शुल्कों को लगाए जाने के प्रभाव, इस उत्पाद के प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग पर प्रभाव तथा व्यापक रूप से सामान्य जन पर प्रभाव के संबंध में विचार किया। यह निर्धारण वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और साक्ष्य के आधार पर है।

159. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित कर राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने पाटन रोधी शुल्क का उनके प्रचालनों पर संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए इन प्रयोक्ताओं के रास्ते एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ अलग-अलग देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की अंतर परिवर्तनीयता, स्रोतों को अपनाने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, उन कारकों जो संभावित रूप से पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के द्वारा उत्पन्न नई स्थिति के लिए समायोजन की गति बढाएगा अथवा उसमें विलंब करेगा के संबंध में सूचना मांगी।

160. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस जांच से संबंधित सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था । निर्यातकों/उत्पादकों तथा आयातकों के साथ घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के द्वारा यथा निर्धारित रूप में और तरीके से आर्थिक हित प्रश्नावली प्रस्तुत की। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश के 22 उत्पाकों/निर्यातकों तथा तीन आयातकों ने घरेलू उद्योग के साथ आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है। घरेलू उद्योग ने शुल्क के संभावित प्रभाव की मात्रा भी उपलब्ध कराई है। यह देखा गया है कि शुल्कों को लगाए जान का डाउन स्ट्रीम उद्योग पर बहुत अधिक प्रभाव

नहीं पड़ा। रिकार्ड पर सूचना के अनुसार यह प्रभाव एक प्रतिशत से भी कम होगा। साथ ही, घरेलू उद्योग को छोड कर किसी भी हितबद्ध पक्षकर ने सत्यापन योग्य मात्रा बताई गई सूचना को नहीं दर्शाया है कि पाटन रोधी शुल्क के लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि इन शुल्कों का कुछ प्रयोक्ताओं पर प्रभाव पड़ सकता है परंतु वह घरेलू उद्योग के प्रचालनों/उत्पादन को बंद करने के खतरे के विरुद्ध संतुलित होना चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकारी हरिदास एक्सपोर्टस बनाम ऑल इंडिया फ्लोट गलास एसोसिएशन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को याद करते हैं जिसमें इसने टिप्पणी की थी कि 'भारत में प्रचलित से कमतर कीमतों पर माल के आयात को अपने आप में जनहित के लिए हानिकारक के रूप में नहीं माना जा सकता है।'

161. प्राधिकारी की यह मान्यता है कि पाटन रोधी शुल्कों को लगाए जाने से भारत में इस उत्पाद की कीमत स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटन रोधी शुल्कों को लगाए जाने से कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटन रोधी शुल्कों को लगाए जाने से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अनुचित लाभ पाटन की कार्य पद्धति से प्राप्त नहीं हो, घरेलू उद्योग का गिरावट रुक जाए तथा संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं की अपेक्षकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति के संबंध में व्यक्त की गई चिंताओं के संबंध में, प्राधिकारी इस बात पर बल देते हैं। पाटन रोधी शुल्कों को लगाए जाने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

162. यह तर्क दिया गया है कि देश में मांग और आपूर्ति में अंतर है तथा भारतीय उद्योग मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान में भारतीय उद्योग के पास इस उत्पाद की संयुक्त क्षमता *** एमटी के करीब है और इस कारण से भारतीय उद्योग इस देश में उत्पाद की मांग का लगभग 95 प्रतिशत पूरा कर सकता था। इसके अलावा, देश में मांग/आपूर्ति में अंतर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से निवारण प्राप्त करने से नहीं रोकता है। जैसा कि माननयी सेस्टेट द्वारा डीएसएम इजेमित्सु लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में निर्णय दिया गया है, मांग/आपूर्ति में अंतर पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराती है। विदेशी उत्पादक पाटित न की गई

कीमतों पर इस उत्पाद की बिक्री कर भारतीय मांग को हमेशा पूरा कर सकते हैं। पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी, इन आयातों को देश में प्रतिबंधित नहीं किया गया है। इसके अलावा, भारतीय उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता का भी ईष्टतम स्तर पर उपयोग नहीं किया जा रहा है और इस प्रकार भारतीय मांग को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने हेतु पर्याप्त क्षमता रह जाती है। इसके अलावाा एब्को प्रा. लि. एब्को और डोरसेट इंडस्ट्रीज प्रा. लि. डोरेसेट, वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकरों ने अपने उत्तर और शिकायत पत्र में यह अनुरोध किया है कि उनका उदेश्य भारतीय बाजार में एक निर्माता के रूप में प्रवेश करने का है और इस कारण से यह नोट किया जाता है कि किसी भी मामले में भारतीय उद्योग की क्षमताओं में वृद्धि होने जा रही है।

163. यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग अपने निर्माण ढांचा का उन्नयन करने के लिए इच्छुक नहीं है और यह भी कि आयात की गई वस्तु बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन मानक प्रस्तुत करते हैं। उसके साथ ही, एक अन्य आयातक और भारत में संबद्ध वस्तुओं के सबसे बडे वितरकों में एक वितरक डोरसेट ने निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क की सिफारिश के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए संबद्ध आयातों के संबंध में गुणवत्ता संबधी चिंताएं प्रकट की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकरों ने अपने अनुरोध के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। तदनुसार, ऐसे दावे के संबंध में आगे जांच प्रधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।

164. भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षमता उठानी पड़ रही है जैसा कि घरेलू उद्योग की प्रदता और भारतीय उद्योग द्वारा किए गए नए निवेशों से स्पष्ट है। यह देखा गया है कि केवल चीन के उत्तर देने वाले निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा पाटित अयातों की मात्रा बहुत अधिक है और यह भारतीय मांग का बहुत बड़ा हिस्सा है। भारतीय उद्योग को स्पष्ट रूप से बहुत अधिक क्षति होने की संभावना है और इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि शुल्कों को लगाया जाना इस चरण में आवश्यक है।

ट. <u>निष्कर्ष और सिफारिश</u>

165. किए गए अनुरोधों, दी गई सूचना और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों जिसे उपर रिकार्ड किया गया है के आधार पर और घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति के उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं:

i) यह जांच संबद्ध वस्तुओं के अनेक भारतीय उत्पादकों और संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों की ओर से हाईहोप द्वारा दायर किए गए आवेदन के आधार पर शुरू की गई थी।

ii) विचाराधीन उत्पादन का कार्यक्षेत्र चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां पर निर्यात किया गया 'टेलीस्कोपिक चैनल ड्राअर स्लाइडर' है।

iii) संबद्ध देश से निर्यात की गई संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तु पाटन रोधी नियमावली 1995 के नियम 2 (घ) के संदर्भ में एक दूसरे 'समान वस्तु' हैं।

iv) पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है बल्कि बहुत अधिक भी है। विचाराधीन उत्पाद का निर्यात भारत को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिसके फलस्वरूप पाटन हुआ है।

v) घरेलू उद्योग की स्थिति पर इन आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव जिसे पाटन रोधी नियमावली 1995 के पैरा 2 के अंतर्गत आकलित किया जाना अपेक्षित है के संबंध में, यह पाया गया था कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में लगभग 165 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

vi) इस उत्पाद की मांग में क्षति की अवधि के दौरान बहुत हद तक वृद्धि हुई है।

vii) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा मात्र 14 प्रतिशत था। संबद्ध देश से आयातों का बाजार हिस्सा भारतीय उद्योग द्वारा देश में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाए जान के बावजूद क्षति की पूरी अवधि के दौरान बहुत अधिक रहा है।

viii) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का पाटन मार्जिन और आयातों की मात्रा पाटन रोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-II के पौरा (III) के अंतर्गत यथा निर्धारित न्यूनतम आरंभिक सीमा से अधिक पाया गया था ।

ix) आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री के स्तर से कम है और इसके कारण

घरेलू उत्पाद की कीमत में कटौती हो रही है। इसके अलावा, बिक्री कीमत मुश्किल से घरेलू उद्योग की लागत के स्तर से ऊपर है। जांच की अवधि में आयात के कारण इस प्रकार से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर दवाब पड़ रहा था।

x) घरेलू उद्योग के आर्थिक मपदंडों पर ऐसी पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंच गया था:

क. उत्पादन संस्थापित क्षमता बिक्री की मात्रा के संदर्भ में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में बढ़ी हुई क्षमता के कारण वद्धि हुई है।

ख. मांग में भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में मात्र *** प्रतिशत है।

ग. घरेलू उद्योग के लाभ और निवेश पर प्रतिफल में क्षति की अवधि के दौरान कमी आई है।

घ. आवेदक की औसत मालसूची में विशेष जांच अवधि में वृद्धि हुई है।

xi) घरेलू उद्योग को पाटितअयातों के फलस्वरूप वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है। क्षति मार्जिन बहुत अधिक है।

xii) प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की है कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का कारण संबद्ध देश से पाटित आयात रहा है।

xiii) प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं पर पाटन रोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा का उल्लेख किया है। यह देखा गया है कि प्रस्तावित शुल्कों का प्रभाव उपभोग किए जा रहे विचारधीन उत्पाद की प्रकृति को देखते हुए प्रर्याप्त नहीं होगा। पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने का जनहित पर कोई अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

166. यह नोट किया जाता है कि यह जाचं स्वत: शुरू की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना उपलबध कराने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को समुचित अवसर दिया गया था। इस नियमावली के अंतर्गत प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने के बाद

यह महसूस किया गया था कि अनंतिम शुल्क लगाया जाना इस जांच के पूरा होने तक पाटन और क्षति के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए अपेक्षित है। इस कारण से, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

167. प्राधिकारी द्वारा अनुसरण किए जा रहे कमतर शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पाटन का मार्जिन और क्षति का मार्जिन में से कमतर के बराबर अनंतिम पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई तालिका के कॉलम संख्या 7 में दर्शायी गई राशि के बराबर पाटन रोधी शुल्क संबद्ध देश के मूल के अथवा उक्त से निर्यात की जाने वाली संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर अनंतिम रूप से लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/उप- शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यातक देश	उत्पादक/ निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	8302 4110, 8302 4190, 8302 4200, 8302 4900	टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोई भी	614	मीट्रिक टन	यू एस डी
2.	8302 4110, 8302 4190, 8302 4200, 8302 4900	टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर	चीन जन. गण. के अलावा अन्य	चीन जन. गण.	कोई भी	614	मीट्रिक टन	यू एस डी

****नोट- सीमा शुल्क वगीर्करण सांकेतिम मात्र है और पाटन रोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पादन के विवरण के अनुसार किया जाएगा।*

168. इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा। तथापि इसमें उक्त अधिनियम की धाराओं 3, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्क शामिल हैं।

ठ. <u>आगे की प्रकिया</u>

169. प्रारंभिक जांच परिणाम को अधिसूचित करने के बाद नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:

i. सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक सुनवाई के समय प्रारंभिक जाचं परिणाम के आधार पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

ii. प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच से संगत अपने विचारों और उसके बाद लिखित अनुरोधों के द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए अवसर देने के लिए नियम 6 (6) के संदर्भ में मौखिक सुनवाई आयोजित करेंगे।

iii. मौखिक सुनवाई की तारीख की घोषणा डीजीटीआर वेबसाइट (dgtr.gov.in) पर की जाएगी।

iv. प्राधिकारी आगे उस सीमा तक सत्यापन करेंगे जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना जाएगा।

v. प्राधिकारी अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित करने के पूर्व पाटन रोधी नियमावली के अनुसार आवश्यक तथ्यों को प्रकट करेंगे।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी